OFFICE OF THE CONSUMER GRIEVANCES REDRESSAL FORUM
KUMAOUN ZONE, HALDWANI

Case No.: 99/2026

Shri/Smt. ~~मीना चावली~~ **V/S** **Executive Engineer..** ~~नैनीताल~~

ORDER SHEET

Signature	Date	Order	Next Da
	08/10/2026	आदेश विपक्षी द्वारा उपभोक्ता की सोलर नेट मीटर से संबन्धित शिकायत का समाधान कर दिये जाने तथा परिवादी द्वारा की गई शिकायत के समाधान हो जाने पर अपनी संतुष्टि हो जाने पर वाद निस्तारित किया जाता है। चलावली दाखिल दफ्तर हो सदस्य (उपभोक्ता) वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी सदस्य (तकनीकी) वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी सदस्य (न्यायिक) वि०उ०शि०नि०म० हल्द्वानी	

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–ब्रह्म पाल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–110/2026
पंजीकरण तिथि–01.08.2026
निर्णय तिथि–08.10.2026

विपिन चन्द्र तिवारी
मै0 इंडस टावर लि0
ग्राम–हल्सौं
पो0ओ0–बेतालघाट
जिला–नैनीताल। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल। विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि "In the month of Apr-26 wrongly Low PF Surcharge claimed for the amount Rs-1370/-. Our PF is over 98 because no motive being entered in billing system which is unjustified."
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 07.08.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता की समस्या का समाधान करने हेतु सम्बन्धित कम्पनी मै0 वैवफ्यूजन इन्फोटेक प्रा0लि0 को प्रकरण से अवगत कराकर मापक की MRI रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु सूचित किया गया है। सम्बन्धित कम्पनी द्वारा मापक की MRI रिपोर्ट उपलब्ध कराने के पश्चात ही विभागीय आख्या प्रस्तुत किया जाना सम्भव हो पायेगा। अतः माननीय मंच से अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में आख्या प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त 02 सप्ताह का समय प्रदान करने का कष्ट करें।
3. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 22.08.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता के विद्युत बिल में माह 04.2026 में पावर फैक्टर 0.75 दर्ज की गयी है, जो निर्धारित स्तर से 0.90 से 1.00 की तुलना में कम है। उपखण्ड अधिकारी की आख्या अनुसार भविष्य में इस प्रकार के सरचार्ज से बचने के लिये पावर फैक्टर को 0.90 से 1.00 के मध्य रखना आवश्यक है। जिस कारण माह 04/2026 में पावर फैक्टर 0.75

दर्ज होने के कारण उपभोक्ता के विद्युत बिल में पावर फैक्टर सरचार्ज अध्यारोपित की गयी है।

4. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर/आपत्ति में कहा गया है कि "The reply of the licensee is highly objectionable because our PF is always over 97 which is clearly reflecting in the MRI which is enclosed herewith. It is further informed that deliberately 1 year history is hidden in the MRI sheet otherwise it would be confirmed the PF for that particular month also. We don't have any motive load connected at our premise. Therefore the charged Low PF surcharge need to adjust in upcoming bills."

5. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 08.09.2026 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु विभागीय प्रतिनिधि AE(R) व SDO भीमताल उपस्थित हुये जबकि परिवादी अनुपस्थित। मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का परिशीलन किया गया। सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग ने जो एम०आर०आई० रिपोर्ट मंच में प्रस्तुत की है उसके अनुसार PF 0.999 है।

उक्त सुनवाई के क्रम में मंच द्वारा, विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के मीटर की माह फरवरी, मार्च अप्रैल व मई की MRI का परीक्षण करते हुए LOW PF की पूर्ण जांच कर दिनांक 19.09.2026 तक स्पष्ट आख्या मंच में प्रस्तुत करे।

6. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांकित 18.09.2026 में कहा गया है कि माननीय मंच द्वारा आख्या प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 19.09.2026 की तिथि निर्धारित की गयी है। परन्तु उक्त पत्र मेल के माध्यम से दिनांक 18.09.2026 को ही प्राप्त हुआ है। अल्प समय होने के कारण आख्या प्रेषित किया जाना सममव नहीं है। अतः माननीय मंच से अनुरोध है कि उक्त प्रकरण मे आख्या प्रस्तुत करने हेतु 02 सप्ताह का समय प्रदान करने का कष्ट करें।

7. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 01.10.2026 में कहा गया है कि उपखण्ड अधिकारी की आख्या अनुसार उपभोक्ता के परिसर पर विद्युत मापक की अनुबन्धित कम्पनीमै० वैवफ्यूज़न इन्फोटेक प्रा०लि० के कार्मिक द्वारा गलत रिडिंग (kvah) ली गयी थी। जिस कारण उपभोक्ता के विद्युत बिल में सरचार्ज (एल०पी०एस०) जोड़ा गया था। उपभोक्ता के विद्युत बिल में संशोधन कर दिया गया है। विद्युत बिल में दिनांक 01.09.2026 को रु० 1370.00 का CCBR adjustment कर दिया गया है। CCBR adjustment करने के उपरान्त उपभोक्ता का विद्युत बिल (ऋणात्मक) रु० – 1370.00 का बना है।

8. परिवादीद्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र दिनांकित 01.10.2026 में कहा गया है कि "Thanks Prakash ji, now maine ab department transfer kar liya hai, if you don't get response in any case you can close the matter."

9. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र के अवलोकन व परिवादी के संतुष्टि पत्र से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने व परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–08/10/2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(ब्रह्म पाल)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

8/10/2026

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–08/10/2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(ब्रह्म पाल)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–ब्रह्म पाल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–111/2026
पंजीकरण तिथि–01.08.2026
निर्णय तिथि–08.10.2026

विपिन चन्द्र तिवारी
मै0 इंडस टावर लि0
सल्टोना, गरमपानी
जिला–नैनीताल। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल। विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि "**In the month of May-26 wrongly Low PF surcharge claimed for the amount Rs- 1330/-. Our PF is over 98 because no motive load at our premise. Concocted reading being entered in billing system which is unjustified.**"
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 07.08.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता की समस्या का समाधान करने हेतु सम्बन्धित कम्पनी मै0 वैवफ्यूजन इन्फोटेक प्रा0लि0 को प्रकरण से अवगत कराकर मापक की MRI रिपोर्ट उपलब्ध कराने हेतु सूचित किया गया है। सम्बन्धित कम्पनी द्वारा मापक की MRI रिपोर्ट उपलब्ध कराने के पश्चात ही विभागीय आख्या प्रस्तुत किया जाना सम्भव हो पायेगा। अतः माननीय मंच से अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में आख्या प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त 02 सप्ताह का समय प्रदान करने का कष्ट करे।
3. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 22.08.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता के विद्युत बिल में माह 04.2026 में पावर फैक्टर 0.53 दर्ज की गयी है, जो निर्धारित स्तर से 0.90 से 1.00 की तुलना में कम है। उपखण्ड अधिकारी की आख्या अनुसार भविष्य में इस प्रकार के सरचार्ज से बचने के लिये पावर फैक्टर को 0.90 से 1.00 के मध्य रखना आवश्यक है। जिस कारण माह 04/2026 में पावर फैक्टर 0.53

दर्ज होने के कारण उपभोक्ता के विद्युत बिल में पावर फैक्टर सरचार्ज अध्यारोपित की गयी है।

4. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर/आपत्ति दिनांकित 25.08.2026 में कहा गया है कि "The reply of the licensee is highly objectionable because our PF is always over 97 which is clearly reflecting in the MRI which is enclosed herewith. It is further informed that deliberately 1 year history is hidden in the MRI sheet otherwise it would be confirmed the PF for that particular month also. We don't have any motive load connected at our premise. Therefore the charged Low PF surcharge need to adjust in upcoming bills."
5. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 08.09.2026 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु विभागीय प्रतिनिधि AE(R) व SDO भीमताल उपस्थित हुये जबकि परिवादी अनुपस्थित। मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का परिशीलन किया गया। सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग ने जो एम०आर०आई० रिपोर्ट मंच में प्रस्तुत की है उसके अनुसार PF 0.999 है।

उक्त सुनवाई के क्रम में मंच द्वारा, विपक्षी/विभाग को आदेशित किया जाता है कि परिवादी के मीटर की माह मई, जुन व जुलाई की MRI का परीक्षण करते हुए LOW PF की पूर्ण जांच कर दिनांक 19.09.2026 तक स्पष्ट आख्या मंच में प्रस्तुत करे।

6. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांकित 18.09.2026 में कहा गया है कि माननीय मंच द्वारा आख्या प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 19.09.2026 की तिथि निर्धारित की गयी है। परन्तु उक्त पत्र मेल के माध्यम से दिनांक 18.09.2026 को ही प्राप्त हुआ है। अल्प समय होने के कारण आख्या प्रेषित किया जाना सममव नहीं है। अतः माननीय मंच से अनुरोध है कि उक्त प्रकरण मे आख्या प्रस्तुत करने हेतु 02 सप्ताह का समय प्रदान करने का कष्ट करें।
7. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत आख्या दिनांक 01.10.2026 में कहा गया है कि उपखण्ड अधिकारी की आख्या अनुसार उपभोक्ता के परिसर पर विद्युत मापक की अनुबन्धित कम्पनी मै० वैवफ्यूजन इन्फोटेक प्रा०लि० के कार्मिक द्वारा गलत रिडिंग (kvah) ली गयी थी। जिस कारण उपभोक्ता के विद्युत बिल में सरचार्ज (एल०पी०एस०) जोड़ा गया था। उपभोक्ता के विद्युत बिल में संशोधन कर दिया गया है। विद्युत बिल में दिनांक 01.09.2026 को रु० 1329.00 का CCBR adjustment कर दिया गया है। CCBR adjustment करने के उपरान्त उपभोक्ता का विद्युत बिल (ऋणात्मक) रु० – 1329.00 का बना है।
8. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र दिनांकित 01.10.2026 में कहा गया है कि "Thanks Prakash ji, now maine ab department transfer kar liya hai, if you don't get response in any case you can close the matter."
9. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र के अवलोकन व परिवादी के संतुष्टि पत्र से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने व परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–08 / 10 / 2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–08 / 10 / 2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी, जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–ब्रह्म पाल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–122/2026
पंजीकरण तिथि–25.08.2026
निर्णय तिथि–23.10.2026

सोनल धामा
पहाड़पानी
ग्राम–माजुली
तहसील धारी
जिला–नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल।

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र में कहा गया है कि "I, Sonal Dhama, am a resident of: Paharpani, Village Majyuli, Tehsil Dhari, Dist. Nainital Uttarakhand 263132. Account No. 41800852267, Connection no. 592QD06113847 or Category - RTS-1.

Have made an in-protest payment for my single-phase electricity connection

Amount - 2,36,921/-
Payment Date - 30th July
Receipt No. - 13461300726WS000329
Against Bill - 39461260724000086 - received on 24th July
Bill Period - 27-06-26 to 24-07-26

I visited the Bhimtal Electricity Dept on 19th June and applied for a check meter as it's impossible to get this high a bill in even 3 years, let alone 1 year, on the recommendation of the Department in Bhimtal. Check meter application no. - 3446129062614140002. Till date not a single person has gotten in touch with me regarding the same, and it has been over 2.5 months!

I need that

1) The department is able to confirm the exact time period for this huge bill
2) Put the check meter in place and make sure the meter is not running fast
3) If it is found running fast, refund my money or adjust in future bills.

4) Make sure the readings are taken monthly.

After making the payment of 2,36,921/- as on 30th July, I spoke to Ms Kajal Rakuni SDO Bhimtal Vidyut Dept. that I still want the check meter to be put and the issue resolved with fairness as I'm a law-abiding tax-paying upstanding citizen of India and Uttarakhand.

I am mailing and posting this letter across as I'm currently travelling, in good faith that my concerns would be taken care of at the earliest. I have now received a bill for the month of August for 28,072/- when I am not even in Uttarakhand since 17th July! How is that even possible and where is my check meter? Kindly reply to this mail on priority because I will not be paying this bill at all." उक्त के क्रम में परिवादी द्वारा दिनांक 31.09.2026 को ईमेल के माध्यम से कहा गया कि **"I will be returning to Uttarakhand on the 8th of September and request you to kindly keep me updated on the status of my complaint with priority."**

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत बिन्दुवार उत्तर पत्र दिनांकित 05.09.2026 में कहा गया है कि:–
 1. उपभोक्ता के परिसर पर लगे विद्युत संयोजन संख्या 592QD06113847 में चैक मापक दि० 03.09.2026 को स्थापित किया गया है। सिलिंग प्रपत्र की प्रति संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।
 2. उपभोक्ता के चैक मापक की फाइनल रिपोर्ट प्राप्त करने हेतु सहायक अभियन्ता मापक द्वारा अवगत कराया गया है कि चैक मापक को 15 से 20 दिवस के पश्चात ही उतारा जायेगा जिसके उपरान्त ही चैक मापक की फाइनल रिपोर्ट के आधार पर ही आख्या प्रेषित की जा सकेगी। जिसमें समय लगना सम्भव है।
 3. अतः माननीय फोरम से अनुरोध है कि उक्त प्रकरण में आख्या प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक समय प्रदान करने की कृपा।

3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर दिनांकित 09.09.2026 में कहा गया है कि **"Regarding the ongoing case, the check meter was put on the 3rd of September and I was informed that the meter is indeed running very fast and that it may be an earthing issue (by Mr Kamal Mehta and Mr Subhash Chauhan). However, because of the relentless rains, no electrician has been ready to look into any electrical work.**

I have not been able to return to Uttarakhand myself because of road damage, landslides and news of falling rocks and debris, and have had to re-book my train tickets to the 14th as well. I request an extension so I can reach with the electrician and get to the root of the matter.

Would like to add that because of instances like these, it is very crucial that readings are taken monthly so they do not escalate to become this massive an issue! I will get in touch once we are able to identify the root cause."

4. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 18.09.2029 में कहा गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर लगे विद्युत संयोजन संख्या 592QD06113847 में चैक मापक दिनांक 03.09.2026 को स्थापित किया गया है जिसे आज दिनांक तक उतारा नहीं गया

है सहायक अभियन्ता मापक द्वारा उक्त प्रकरण में समय मांगा गया है। सहायक अभियन्ता मापक द्वारा चैक मापक उतारे जाने के उपरांत ही आख्या प्रेषित की जा सकेगी।

5. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 22.09.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर लगे विद्युत संयोजन संख्या 592QD06113847 में चैक मापक दि० 03.09.2026 को स्थापित किया गया। उपभोक्ता के मापक को दि0 22.09.2026 को उतारा गया है। उक्त दोनों मापकों में रिडिंग बराबर पायी गयी है।

6. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 23.09.2026 की तिथि नियत की गयी। उभय पक्ष सुनवाई हेतु मंच में उपस्थित। विपक्षी/विभाग (SDO) व परिवादी के तर्कों को सुना गया।

सुनवाई के दौरान मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को आदेशित किया गया कि उपभोक्ता के मापक की MRI करें तथा उपभोक्ता के परिसर का स्थलीय निरीक्षण कर अपनी विस्तृत आख्या दिनांक 03.10.2026 तक मंच में प्रस्तुत करें।

7. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांकित 06.10.2026 में कहा गया है कि–

(1). उपभोक्ता के परिसर का स्थलीय निरीक्षण करने के उपरान्त आवास का उपभोग निम्नवत् पाया गयाः–04 नग गीजर–7 कि०वा०, 01 नग मोटर–1.250 कि०वा०, 08 नग लाईटें–0.168 कि०वा० जो कुल विद्युत भार 8.41 कि०वा० है।

(2). उपभोक्ता के परिसर में 01 (3 फेज) तथा 01 सिंगल फेज, कुल 02 नग विद्युत संयोजन हैं जिनका कुल विद्युत भार 8.41 कि०वा० पाया गया है।

(3). उपभोक्ता के मापक की एम० आर०आई० रिपोर्ट एवं उपखण्ड अधिकारी की आख्या संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

8. मंच द्वारा वाद पर पुनः सुनवाई हेतु दिनांक 08.10.2026 की तिथि नियत की गयी। उभय पक्ष सुनवाई हेतु मंच में उपस्थित रहे। विपक्षी/विभाग व परिवादी के तर्कों को सुना गया।

सुनवाई के दौरान विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की मापक की MRI रिपोर्ट मंच में प्रस्तुत की गयी। मंच द्वारा परिवादी की बिल हिस्ट्री एवं मापक की MRI रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मीटर रीडर द्वारा लंबे समय से बिल बनाते समय गलत रीडिंग दर्ज की जा रही थी। MRI रिपोर्ट एवं बिल हिस्ट्री में दर्ज रीडिंग में आ रहे भारी अंतर को विभाग द्वारा 27.06.2026 को वास्तविक रीडिंग दर्ज कर बिल बनाकर दूर किया गया। इस बिल से यह तथ्य सामने आया कि मीटर रीडर ने 28750 यूनिट रोकी हुई थी अर्थात मीटर रीडर जानबूझकर गलत रीडिंग भरकर विभाग को आर्थिक नुकसान पहुंचा रहा था। विपक्षी से अपेक्षा की जाती है कि मीटर रीडर के खिलाफ सख्त दण्डात्मक कार्रवाई करे। अतः मनमानी रीडिंगो पर बने समस्त बीजको को संशोधित किया जाना उचित है ताकि परिवादी को उचित टैरिफ स्लैब पर बिल जारी किया जा सके। मंच के मत में परिवादी के परिसर पर संयोजन स्थापित होने की तिथि 09.07.2018 से वर्तमान तक का बीजक, मीटर की कुल खपत को मासिक औसत आधार पर विभाजित करते हुए उचित टैरिफ स्लैब से निर्मित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी का बीजक दिनांक 09.07.2018 से वर्तमान तक मीटर की कुल खपत को मासिक औसत आधार पर विभाजित करते हुए उचित टैरिफ स्लैब के आधार पर बनाया जाए जिसमें उक्त अवधि में परिवादी द्वारा जमा कराई गई समस्त धनराशि का समायोजन किया जाये। इस प्रकार निर्मित बीजक पर कोई विलंब मुगतान अधिभार देय नहीं होगा। विपक्षी निर्णय/आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अनुपालन आख्या मंच में प्रस्तुत करें। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—23/10/2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(ब्रह्म पाल)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः—23/10/2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(ब्रह्म पाल)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–ब्रह्म पाल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–125/2026
पंजीकरण तिथि–08.09.2026
निर्णय तिथि–27.10.2026

जीवन चन्द्र काण्डपाल परिवादी
गुरूद्वारा मार्केट
दुकान नं0–8, लालकुआं
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि मेरा प्रति माह बिजली का बिल 300 से 600 के बीच में आता रहा है। अचानक ही 7800 रू० बिल आने पर हमने चैक मी० लगवाया लेकिन उससे संतुष्टि नहीं हुई चैक मापक और पुराना मी० सेम पाया गया। अतः महोदय से निवेदन है कि मेरा बिल पूर्व की भांति करने की कृपा कीजिएगा।
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 14.09.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता का बिल रीडिंग के आधार पर है। उपभोक्ता के परिसर पर परीक्षणशाला द्वारा दिनांक 05.06.2026 को चैक मीटर लगाया गया जो कि दिनांक 27.06.2026 को उतारा गया है जिस दौरान दोनों मीटरों की रीडिंग समानान्तर पायी गई।
3. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 22.09.2026 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित हुये जबकि परिवादी अनुपस्थित रहे।मंच द्वारा विपक्षी/विभाग के तर्क सुने गये व विपक्षी को आदेशित किया गया कि परिवादी के मापक की MRI रिपोर्ट दिनांक 30.09.2026 तक मंच में प्रस्तुत करें।
4. विपक्षी/विभाग द्वारा दिनांक 28.09.2026 को परिवादी के मीटर की MRI रिपोर्ट मंच के समक्ष प्रस्तुत की गयी।
5. मंच द्वारा वाद पर पुनः सुनवाई हेतु दिनांक 07.10.2026 की तिथि नियत की गयी। उभयपक्ष सुनवाई हेतु मंच के समक्ष उपस्थित हुये। पक्षकारों के तर्क सुने गये व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/अभिलेखों का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।

सुनवाई के दौरान परिवादी द्वारा पत्र प्रस्तुत कर कहा गया कि लालकुआं गुरुद्वारा मार्किट दुकान न० 8 में जीवन काण्डवाल के नाम से विद्युत कनैक्शन लगा हुआ है।

जिसमें अचानक बिल 400–500 से 8000 के लगभग आ गया है। जिसमें हमारे द्वारा चैक मी० भी लगवाया गया परन्तु सन्तुष्टी नहीं हुई जिसके बाद आपके द्वारा M.R.I करवाया गया है। जिसमें जनवरी व फरवरी में 590 व 592 रीडिंग आयी है। जबकि अन्य महीनों में 40 से 60 की बीच में रीडिंग रही है। जबकि आफीस में जनवरी व फरवरी में पंखा भी नहीं चलता है।

महोदय मेरी बहिन के ससुर जी का स्वर्गवास होने के कारण मुझे अचानक वहाँ जाना पड़ रहा है। जिस कारण मेरे प्रतिनिधि के रूप में दीपक चन्द्र भट्ट जी को भेजा है। इनके द्वारा लिया गया निर्णय मुझे मान्य होगा और आपके द्वारा किया गया फैसला हमारे हित में होगा।

6. मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। विपक्षी ने परिवादी को मीटर रीडिंग पर ही बिल जारी किये हैं, परन्तु यह वास्तविक खपत के नहीं है। मार्च 2026 में शून्य खपत पर बिल जारी किया है परन्तु जबकि MRI में खपत प्रदर्शित हो रही है MRI के अनुसार मार्च माह में खपत 127 यूनिट रही है। जिस कारण अप्रैल में बिल अधिक प्रतीत हो रहा है। यदि अप्रैल माह में दिखायी गयी खपत को दो माह में विभाजित कर दिया जाये तो भी बिल की राशि में कोई अन्तर नहीं आयेगा।

अतः परिवादी को मंच से कोई अनुतोष नहीं दिया जा सकता। विपक्षी को चेतावनी दी जाती है कि प्रत्येक बिल चक्र में वास्तविक मीटर रीडिंग पर बिल बनाये जिससे परिवादी पर एकमुश्त भार न पड़े।

आदेश

विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को भविष्य में वास्तविक मीटर रीडिंग पर बिल जारी करे। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ओम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–27/10/2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(ब्रह्म पाल)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः–27/10/2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(ब्रह्म पाल)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–ब्रह्म पाल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–128 / 2026
पंजीकरण तिथि–11.09.2026
निर्णय तिथि–08.10.2026

महेंद्र सिंह परिवादी
पुत्र श्री गोसाई सिंह
ग्राम–मल्ला बरधो
पो0–तल्ला बरधो
तहसील–बेतालघाट
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
नैनीताल।

निर्णय

1.परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि श्रीमान मेरा कंप्लेंट नंबर–21207260144 है। दिनांक 12 जुलाई 2026 को महेंद्र सिंह के नाम से मेरे द्वारा चेक मीटर के लिए अप्लाई किया गया था। चैक मीटर के संबंध में भुगतान मेरे द्वारा ऑनलाइन ₹100 किया गया है। जबकि चैक मीटर लगाने का समय 31 दिन है। वर्तमान तक मेरा चैक मीटर नहीं लगा है। मुझे यह प्रतीत होता है कि मेरा विद्युत मीटर खराब रीडिंग दे रहा है। जिस कारण मेरा विद्युत बिल अधिक आ रहा है। जबकि विद्युत विभाग द्वारा चैक मीटर लगाने का समय 31 दिन नियत किया गया है। वर्तमान तक मेरा चैक मीटर ना लग पाने के कारण मुझे प्रत्येक महीने अत्यधिक विद्युत बिल का भुगतान करना पड रहा है जिससे मुझे अनावश्यक रूप से आर्थिक नुकसान हो रहा है। आपसे अनुरोध है कि मेरा चैक मीटर जल्दी से जल्दी लगवाएं। जिससे कि मुझे यह ज्ञात हो सके कि मेरा विद्युत मीटर सही काम कर रहा है, या नहीं। वर्तमान तक मेरा विद्युत मीटर क्यों नहीं लग पाया इस संबंध में जांच कर संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की कृपा करें। व उक्त कार्यवाही से मुझ खाता धारक को भी अवगत कराए।

2.विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर दिनांक 15.09.2026 को चैक मापक स्थापित किया गया है।

3.परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर में कहा गया है कि उक्त चैक मीटर जो आपके द्वारा लगाए गया है। वह महेंद्र सिंह पुत्र बिशन सिंह के घर पर लगाया गया है। जो कि गलत पते पर लगाया गया है। आपको मेरे द्वारा जारिए मेल पूर्व मे भी और वर्तमान में भी अपना पता व शिकायत संख्या विद्युत खाता सख्या प्रेषित किया गया है। कृपया उक्त शिकायत पर समय से त्वरित कार्यवाही करने की कृपया करें।

4.विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त उत्तर पत्र दिनांकित 30.09.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर दिनांक 30.09.2026 को चैक मापक स्थापित किया गया है।

5.मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा उत्तर पत्र पत्र से स्पष्ट है कि परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। साथ ही आपको यह भी अवगत कराना है कि अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही का क्षेत्रधिकार इस फोरम को नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के व परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—08/10/2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(ब्रह्म पाल)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः—08/10/2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(ब्रह्म पाल)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरमः– 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2– ब्रह्म पाल, सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–129 / 2026
पंजीकरण तिथिः–14.09.2026
निर्णय की तिथिः–28.10.2026

परिवादी

हीरा देवी,
नई बस्ती, पुछडी, भगुवाबंगर,
नियर दक्षिण मुंखी,
हनुमान मदिर, रामनगर,
जिला–नैनीताल।

बनाम

विपक्षी

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
रामनगर।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है किः– प्रार्थी को उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लि. द्वारा दो पत्रांक सं. 6697 दिनांक 31–12–2025 और पत्रांक 5948 / वि.वि.ख. (रा.) / दिनांक 22–08–2026 प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने माननीय उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के आदेश स. **UERC/7CL/724/PET-No-55 of 2024/1313** दिनांक 25.11.2025 के क्रम में केवल उन्हीं विद्युत संयोजनाओं को नियमित करने को कहा है जिसके पास भवन / भूखंड का स्वामित्व का प्रमाण हो, अन्यथा विच्छेदन की जाएगी।

महोदय, आपसे सवनिय निवेदन इस प्रकार है कि प्रार्थी उत्तराखंड के मूल निवासी हैं तथा विगत 65–70 वर्षों से पुच्छडी–भगुवावंगर रामनगर में सन् 1920 में कोसी नदी के विनाशकारी बाढ से उजडी हुई जमीन को आबाद कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। 2015 में प्रधानमंत्री जी के अथक प्रयासों में जब गांव का विद्युतीकरण हुआ तो हमने यू.पी.सी.एल. से मांग की कि हमें ***3 Phase***

Connection देने की कृपा करें ताकि हम लोग लघु नल कूप लगा सकें जिससे हम लोग कृषि कर अपना जीवनयापन सही ढंग से कर सकें।

महोदय, हमारे आवेदन पर यू.पी.सी.एल. ने उस समय हमसे हमारा राशन कार्ड और आधार कार्ड की मांग की जो हमने उन्हें उपलब्ध कराए। यह वाक्या सन् 2021 का है और इन्हीं दो मानको को स्वीकार कर यू.पी.सी.एल. ने हमें 2021 में लघु नलकूप के लिए 3 **Phase Connection** प्रदान किया, तदोपरांत हमने 10 लाख रुपए खर्च करके लघु नलकूप का प्रबन्ध कर कृषि कार्य करके अपने परिवार का भरणपोषण कर रहे हैं। महोदय, आज सारे गांव का विद्युतीकरण हो चुका है जिसमें न उत्तराखंड सरकार ने और न वनविभाग ने किसी प्रकार की रोकध्आपत्ति कराई, आज जब हम प्रगति की राह पर अग्रसर हैं तो विद्युत विभाग को आपत्ति होने लगी है, यही आपत्ति सन् 2021 में लगा देती उसी समय भू–खंड के स्वामित्व का पैमाना रख देती तो कम से कम हमारा 10 लाख का नुकसान तो नहीं होता।

अतः आपसे आग्रह है कि माननीय उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग को आदेश करने की कृपा करें कि 2024 के पूर्ववर्ती विद्युत संयोजनों को नियमित कर आगे नये सयोजनों पर पाबंदी लगाए।

2. विपक्षी / विभाग द्वारा उत्तर पत्र में कहा गया है कि मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग, देहरादून के आदेश संख्या–***UERC/7/CL/724/Pet-No-55 of 2024/1313 Dated 25 /11/ 2025*** के अनुक्रम में वादी श्रीमती हीरा देवी एवं अन्य को व्यक्तिगत नलकूल विद्युत संयोजनों के भूमि स्वामित्व के अभिलेख उपलब्ध कराने हेतु नोटिस निर्गत किये गये हैं। उपभोक्ता द्वारा भूमि स्वामित्व के अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये जाने की स्थिति में उपभोक्ता का संयोजन उपरोक्त आदेश के अनुसार विच्छेदित किया जायेगा। मा० उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग का आदेश संलग्न किया जा रहा है।

3. दिनांक 27.10.2026 को मंच में सुनवाई हेतु उभय पक्षों को नोटिस जारी किया गया। पक्षकार सुनवाई में उपस्थित रहें। परिवादी द्वारा सुनवाई के समय प्रतिउत्तर प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया है कि The complainant most respectfully submits as follows:

 1. That the complainants most respectfully reiterate the contents of the original complaint dated 14.09.2026 and submit the present rejoinder to the reply filed by the respondent. The complainants are not satisfied with the reply submitted by the respondent, as the same fails to adequately address the grievances raised in the complaint and the circumstances in which their respective electricity connection in question were originally sanctioned and released.

 2. That it is pertinent to mention here that the complainants are residents of Nai Basti, Puchdi, Bhaguwabangar, Ramnagar, District Nainital, Uttarakhand, which is a village/habitation. The complainants are in occupation of their respective lands and use the same for agricultural purposes. However, the complainants do not possess conventional revenue records establishing ownership over the respective lands in the manner now demanded by the respondent. Forest

3. That when the complainants approached the office of the respondent for grant of electricity connections for their private tube wells, the fact that the complainants did not possess conventional land-ownership documents was never concealed from the respondent. The complainants approached the respondent directly, and the application forms were provided by the respondent itself. The complainants duly filled in the forms and furnished the particulars and documents required by the respondent. Since the complainants were unable to furnish conventional land-ownership documents, the respondent required the complainants to deposit security equivalent to three times the ordinary prescribed amount, which the complainants duly deposited. Upon accepting the applications and the amounts demanded, the respondent sanctioned and released the respective electricity connections.

4. That since the release of the respective electricity connections, the complainants have been utilising the same for their agricultural requirements and have regularly paid the electricity bills raised by the respondent. However, the respondent subsequently issued notices dated 31.12.2025 and 22.08.2026 to the complainants requiring the production of conventional land-ownership documents in respect of the premises where the respective private tube wells are situated, failing which the electricity connections were threatened to be disconnected. The said notices seek to justify the demand by placing reliance upon the order dated 25.11.2025 passed by the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission. The complainants have, thus, been called upon to furnish documents which were not available with the complainants even at the time of the original applications, despite which the respondent had processed the applications and released the respective electricity connections.

5. That, upon perusal of the order dated 25.11.2025 passed by the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission, in compliance with which the aforesaid notices have been issued, it is evident that the respondent, in its submission before the Commission, acknowledged that certain private tube-well (PTW) electricity connections had been released by following the procedure prescribed under the erstwhile UERC (Release of New LT Connections, Enhancement and Reduction of Loads) Regulations, 2013, even after the UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 had come into force. The respondent attributed the continuation of the erstwhile procedure to the non-updation of the online RAPDRP system in accordance with the 2020 Regulations. The relevant portion of the respondent's submission, as reproduced in the impugned order, is extracted hereinbelow:

"(1) Executive Engineer, EDD, Ram Nagar, UPCL

Executive Engineer, EDD-Ramnagar, UPCL vide its letter No. 2895/वि०वि० ग० (10) dated

30.05.2025 submitted that: all new connections of PTW Category were being released as per the UERC (Release of new LT Connections, Enhancement and reduction of Loads), Regulations, 2013 through online RAPDRP system.

Since mentioned in clause 4(a) of foresaid regulation that "Provided that in case the applicant is unable to submitted any of the document listed at (i) to (0) above, then the applicant shell be charged thrice (except for BPL consumers) the amount of security as per Tables 1 to given in Regulation 5(10) Therefore LT new service connections of PTW Category, where applicants were not able to produce proof of ownership or occupancy were released after receiving thrice the amount of security following above cited regulation.

Moreover it is submitted that after October 29, 2020 when "UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020 came into effect and due to non-updated this new supply code 2020 in online RAPDRP system, 82 new service connections of PTW category, where applicants had no proof of ownership were released mistakenly taking thrice the amount of security"

6. That the aforesaid facts are fundamental to the present dispute, particularly in view of the respondent's own admission regarding the procedure followed for release of PTW connections. The complainants, being ordinary consumers, approached the respondent, the statutory distribution licensee, for electricity connections and disclosed from the outset their inability to furnish conventional land-ownership documents. The complainants neither devised nor selected the procedure under which their applications were processed; rather, the application forms were supplied by the respondent itself, the documents were scrutinised by its officials, and the respective connections were sanctioned and released upon acceptance of the security amounts demanded by the respondent. The responsibility for ensuring that the prescribed procedure was followed, that the applications were scrutinised in accordance with the applicable Regulations, and that the connections were sanctioned in compliance with the governing regulatory framework rested with the respondent.

7. The complainants had neither control over the respondent's administrative procedures and online system nor any reason to suspect that the procedure being followed by the respondent was inconsistent with the applicable Regulations. Having acted in accordance with the procedure communicated and applied by the respondent, the

complainants cannot be treated as having been responsible for any failure on the part of the respondent to follow or implement the applicable regulatory requirements. The respondent's own explanation before the Commission, attributing the release of certain connections to the non-updation of its online system, therefore assumes particular significance while considering the action now sought to be taken against the complainants.

8. That the aforesaid position is further borne out by Regulations 3.3.2 and 3.3.3 of the UERC (The Electricity Supply Code, Release of New Connections and Related Matters) Regulations, 2020, which prescribe the procedure for submission, scrutiny and processing of applications for new electricity connections. The said provisions place the responsibility for examining applications and ensuring compliance with the prescribed regulatory requirements upon the distribution licensee. Accordingly, the respondent was required to exercise due diligence at the stage of processing and sanctioning the respective connections, and any subsequent action concerning the continuance of such connections must be considered in light of the respondent's own obligations under the applicable Regulations.

9. That the complainants do not contend that the deposit of three times the prescribed security amount, by itself, overrides any mandatory requirement of the 2020 Regulations. The complainants' case is that, despite the 2020 Regulations having come into force, the respondent processed their applications, demanded and accepted the enhanced security, and released the respective electricity connections. The complainants, as ordinary consumers, had no reason to suspect that the procedure being followed by the respondent itself was inconsistent with the applicable regulatory framework. Had the respondent applied the prescribed procedure and clearly communicated the applicable requirements at the time of the applications, the complainants would have been in a position to consider their options before proceeding with the connections and incurring substantial expenditure.

10. That the complainants do not seek to contend that the respondent's own conduct can, by itself, validate a connection contrary to a binding regulatory requirement. However, the circumstances in which the respective connections were sanctioned, the complainants' bona fide reliance upon the procedure followed by the respondent, and the absence of any concealment or misrepresentation are material considerations that cannot be disregarded while determining the action to be taken against them. The respondent's subsequent reliance upon its own failure to update or apply the

prescribed procedure cannot, without due consideration of these circumstances, justify placing the entire consequence of that failure upon the complainants, who have continued to pay the electricity bills raised by the respondent.

11. That, as stated hereinabove, the complainants are residents of Nai Basti, Puchdi, Bhaguwabangar, Ramnagar, District Nainital, Uttarakhand, and have been residing upon and cultivating their respective lands for generations. The area in question does not form part of a duly recorded revenue village but is situated within the forest area of Upper Koshi Beat, Tarai Paschami, Forest Division, Ramnagar. Vide Gazette Notification No. 23(3)/3-14-B-66 dated 18.05.1966, issued under the Indian Forest Act, 1927, the said area was declared a Reserved Forest. However, during the process of notification, the rights of the persons residing in the area were not recognised in accordance with the procedure contemplated under the said Act.

12. That the long-standing occupation of the complainants is further borne out by the proceedings initiated by the Forest Department of the concerned division during the years 1986-87 and 1989, wherein encroachment cases were instituted against the complainants in respect of the land in question. Despite opportunities having been afforded to the Forest Department, it failed to appear before the concerned court, and the said proceedings were consequently dismissed. These historical proceedings constitute relevant material demonstrating that the complainants occupation of the land dates back several decades and is not a recent or undisclosed occupation. Copies of the available records of the proceedings and the orders dismissing the same are annexed as Annexure -1

13. That, notwithstanding their long-standing occupation, the complainants' habitation has not been accorded corresponding recognition in the revenue records. In these circumstances, the process for recognition and settlement of rights in the habitation, including its conversion into a revenue village under Section 3(1)(h) of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006, is pending consideration. Until the said process is completed, the complainants do not possess conventional revenue records or ownership documents of the nature demanded by the respondent. The pending process under the Forest Rights Act and the historical material relating to their occupation are, therefore, relevant to appreciating the complainants" inability to furnish the documents insisted upon by the respondent. Copies of FRA proceeding pending before concerned authority are annexed as Annexure-2

14. The complainants do not assert that the pendency of that process, by itself, establishes ownership of the land or dispenses with any requirement under the electricity Regulations. The circumstance is nevertheless relevant to explain why the complainants could not furnish conventional land ownership documents when they approached the respondent and why the Department's knowledge of that position at the time of sanction is material. Their inability to produce such documents not a circumstance concealed from the respondent, it was the very circumstance in which the Department accepted enhanced security and released the connection.

15. That the complainants have made substantial investments in getting the PTW connection and have continued to pay the electricity bills raised by the respondent, acting throughout in good faith upon the connections sanctioned and released by the respondent itself. The complainants cannot reasonably be expected to bear the consequences of the respondent's own failure to follow the applicable procedure, particularly when their inability to furnish conventional ownership documents was disclosed from the outset and arose from the circumstances of their long standing habitation. It would not be manifestly unjust to place the entire burden of such failure upon the complainants, who caused nor had control over it.

16. That the complainants respectfully submit that their grievance deserves individual consideration in light of the facts stated hereinabove, rather than being rejected solely by reference to the UERC order dated 25.11.2025. The complainants do not seek to override the said order or evade the applicable Regulations, but pray that the respondent's own role in sanctioning the connections, the complainants' bona fide conduct and the circumstances underlying their inability to furnish conventional documents be duly considered before any coercive action is taken against their respective connections.

17. That the complainants further submit that, in the event of disconnection of the respective electricity connections, they would suffer substantial financial loss and prejudice to their agricultural activities, despite having acted in good faith and complied with the requirements communicated by the respondent. Such loss would arise in circumstances not attributable to any concealment or misrepresentation on the part of the complainants, but from the respondent's own handling of the applications and release of the connections. The complainants ought not to be left to bear the financial consequences of such failure and, therefore, pray that appropriate

compensation for the loss and injury suffered, together with such other relief as may be permissible under the applicable law, also be considered by this Hon'ble Forum.

PRAYER

In view of the facts and circumstances stated hereinabove, it is most respectfully prayed that this Hon'ble Forum may graciously be pleased to:

i. Direct the respondent to place on record the connection-wise particulars of the PTW connections referred to in the order dated 25.11.2025 passed by the Uttarakhand Electricity Regulatory Commission, including whether the respective connections of the complainants form part of the 82 connections attributed to the Ramnagar Division, together with the relevant records and the action proposed in respect of each connection;

ii. Direct the respondent to consider the evidence of occupation and other supporting material placed on record by the complainants, notwithstanding that the same may not constitute conventional revenue records evidencing ownership, together with the circumstances in which their respective electricity connections were applied for, processed and released, the disclosure made by them regarding the unavailability of such revenue records, and the security deposits accepted by the respondent, while taking any decision affecting their respective connections.

iii. Direct the respondent not to make the complainants bear the adverse consequences of its own failure to exercise due diligence and ensure compliance with the applicable Regulations at the time of processing and releasing their electricity connections, particularly when the complainants had disclosed their circumstances and had neither concealed any material fact nor misrepresented their position, and who had no control over the respondent's compliance with its statutory and regulatory obligations;

iv. In the event that the complainants suffer disconnection or any other direct and legally compensable loss despite the aforesaid circumstances, award appropriate compensation for such loss, to the extent permissible under the applicable Regulations, and pass such other order as this Hon'ble Forum may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case.

v. Pass such other order or direction as this Hon'ble Forum may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case.

4. मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा नलकूप संयोजनों के संबंध में माननीय उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के आदेश दिनांक 25.11.2025 के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। इस मंच को

माननीय नियामक आयोग के आदेश पर किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। अतः प्रस्तुत वाद इस मंच में पोषनीय नहीं होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—28.10.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः—28.10.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–ब्रह्म पाल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–130/2026
पंजीकरण तिथि–16.09.2026
निर्णय तिथि–08.10.2026

प्रकाश सिंह भण्डारी
जागनाथ कालौनी
दमुवाढूंगा, हल्द्वानी
जिला–नैनीताल। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
कमलवागांजा, हल्द्वानी। — विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि "I Prakash Singh Bhandari, Consumer number 391K501071653, A/C NO. 40113629098 state following few lines for your kind consideration and favourable action please.

 That sir, electricity bill generated during this month is incorrect as the contracted load has been increased to 3kW from 1kW without valid reasons and for this fixed/demand charges has also been increased to Rs. 255 which is also not justified.

 Since, load for my domestic connection is within the range of 1kW, therefore it is requested to restore the contracted load to 1kW instead of 3kW and also refund the excess fixed/demand charges deducted at the earliest.
 I would be very thankful for this act of kindness."
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 29.09.2026 में कहा गया है कि शिकायतकर्ता श्री प्रकाश सिंह भण्डारी(अकाउंट नं0–40113629098) का विद्युत भार 3KW से घटाकर 1KW कर दिया गया है।
3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर/आपत्ति में कहा गया है कि "Thanks and regards for the speedy resolution initiated and satisfied with the resolution."
4. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र के अवलोकन व परिवादी द्वारा प्रस्तुत संतुष्टि पत्र से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी

की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने व परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—08 / 10 / 2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः—08 / 10 / 2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–ब्रह्म पाल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–131/2026
पंजीकरण तिथि–16.09.2026
निर्णय तिथि–23.10.2026

सोनी मारकूना
गिरजा विहार फेज–03
कमलवागांजा, हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी।

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि "**I am writing to raise a formal grievance regarding the installation of smart electricity meter at my residence on 7th June without my prior knowledge, Information or Consent.**

At the time of Installation, I was not present at my residence as I work in panipat and regularly stay there due to my Job. The house was locked, and I had not given permission to anyone to open the premises or enter the house for the purpose of replacing the existing electricity meter.

I also request you to clarify whether Installation of the Smart meter was mandatory for my connection: If it was mandatory, kindly provide the relevant rule / order in writing.
Kindly treat this as a formal grievance and provide a written response and appropriate relief at the earliest."

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 23.09.2026 में कहा गया है कि RDSS की योजना के तहत उपभोक्ता के परिसर पर दिनांक 07.07.2026 को स्मार्ट मीटर स्थापित किया गया था, जो कि भारत सरकार के गजट संख्या 233 दिनांक 01.04.2026 के अनुसार स्थापित किया गया है।

3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर/आपत्ति दिनांकित 29.09.2026 में कहा गया है कि "This email is a continuation of my earlier complaint regarding the installation of the smart meter at my residence and is in response to your reply.

However, the concerns raised in my original complaint have not been clearly addressed. I would therefore like to seek clarification on the following points:

(1). Was the installation of the smart meter mandatory for my connection? If yes, kindly provide the relevant rule, order, or notification under which it was mandatory.

(2). At the time of installation, I was not present at the residence. The house was completely locked and no one was present inside. Kindly clarify how the smart meter was installed in my absence, without any prior notice or consent.

I request you to kindly provide a clear point-wise response to the above concerns."

4. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 07.10.2026 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु पक्षकार प्रयत्क्ष रूप से मंच के समक्ष उपस्थित हुये। पक्षकारों के तर्क सुने गये। तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/अभिलेखों को सम्यक रूप से परिशीलन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी को स्मार्ट मीटर लगाने संबंधी गजट नोटिफिकेशन की प्रति उपलब्ध करा दी गयी है। परिवादी की अनुपस्थिति में स्मार्ट मीटर लगाये जाने के संबंध में विपक्षी को निर्देशित किया जाता है कि वह उपभोक्ता या उसके प्रतिनिधि की उपस्थिति में ही मीटर स्थापित करे तथा सीलिंग प्रमाण पत्र पर आवश्यक रूप से उनके हस्ताक्षर करवाकर एक प्रति उपभोक्ता को प्रदान करे।

आदेश

उपरोक्तानुसार इस वाद को निस्तारित किया जाता है। चूंकि स्मार्ट मीटर भी पहले ही लग चुका है और विभाग को निर्देशित कर दिया गया है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—23/10/2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(ब्रह्म पाल)	23/10/2026 (विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांक—23/10/2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(ब्रह्म पाल)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–ब्रह्म पाल, सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–132 / 2026
पंजीकरण तिथि–16.09.2026
निर्णय तिथि–29.10.2026

राधिका मारकूना
पत्नी खड़ग सिंह मारकूना
नर सिंह तल्ला, फेज–06
गिरजा विहार, हल्द्वानी
जिला–नैनीताल। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी। विपक्षी

निर्णय

1.परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि "I would like to raise the following two concerns:

1-Smart Meter:
At the time of Installation, I was not at home. My parents, both senior citizens, were present. The smart meter was Installed and they were Informed that it could be removed / changed after one month if required. I request UPCL to clarify whether installation of the smart meter is mandatory and under which applicable rule / order it was Installed, and whether the assurance given to my parents is valid.

2-Solar Generation:
Our Solar generation started on 22 August, However, the bill generated on 31 August did not include any adjustment for the solar units generated. I visited the UPCL office on 25 August, where I was informed that the configuration request had been sent. More than 350+ units have been generated so far, but these units have not been adjusted in my electricity bill. I request UPCL to

Scanned with OKEN Scanner

ensure that all eligible Solar generation units from 22 August onwards are properly recorded and adjusted in the billing.

I request the Grievance officer to kindly examine both matters and provide a written clarification and appropriate resolution."

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 23.09.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता का सोलर 22.08.2026 में अपडेट हुआ है जबकि सोलर फ्लैग ऑन माह सितम्बर में हुआ है जिसमें उपभोक्ता को अगस्त अन्तिम सप्ताह में माह सितम्बर का सोलर एडजरटमेंट नहीं गिल पाया है जो कि अक्टूबर गाह में दिनांक 06.10.2026 से 10.10.2026 के बीच स्मार्ट मीटर के द्वारा कर दिया जायेगा।

3. परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रतिउत्तर/आपत्ति दिनांकित 30.09.2026 में कहा गया है कि **"I am writing regarding my earlier complaint about the installation of the smart meter and adjustment of my solar generation.**

1-please note that my first query regarding the smart meter remains unanswered. I had specifically asked whether the installation was mandatory and under which applicable rule it was done. I also informed you that I was not at home at the time and my senior citizen parents were present. Kindly provide a clear written response to this point.

2-regarding solar generation, my solar generation began on 22 August 2026, and the delay in configuration was not due to any fault or delay from my side. You have stated that adjustment will be made between 06/10/2026 and 10/10/2026. However, please explain clearly how the solar units generated during the delay will be adjusted and reflected in my bill. Please confirm whether the eligible solar generation units will be adjusted against my consumption on a unit-to-unit basis. If any surplus units remain after adjustment, please clarify how those will be treated and settled, along with the applicable rule or method. I request a clear written response to both points, particularly the smart meter issue which remains unanswered in your latest reply."

4. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 07.10.2026 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु पक्षकार प्रयत्क्ष रूप से मंच के समक्ष उपस्थित हुये। पक्षकारों के तर्क सुने गये। तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/अभिलेखों को सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।

5. सुनवाई में उपस्थित परिवादी के प्रतिनिधि को विपक्षी द्वारा सोलर मीटर की स्थापना के संबंध में जारी गजट/आदेश की प्रति हस्तगत कराई गई। विपक्षी उपखंड अधिकारी ने सोलर एडजस्टमेंट के संबंध में एक सप्ताह के भीतर लेजर की प्रति प्रस्तुत करने का मंच में अनुरोध किया। विपक्षी ने दिनांक 16.10.2026 को परिवादी के सोलर एडजस्टमेंट के प्रमाण स्वरुप लेजर की प्रति प्रेषित की। मंच द्वारा लेजर का अवलोकन किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि परिवादी को विपक्षी ने कार्यालय ज्ञाप संख्या 1355, दिनांकित

Scanned with OKEN Scanner

13.10.2026 के आधार पर दिनांक 15.10.2026 को सोलर एडजस्टमेंट प्रदान कर दिया है। इस समायोजन के बाद परिवादी का बीजक ऋणात्मक (–368 रुपये) है। अतः विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने पर इस वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने के फलस्वरुप वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून के समक्ष अपील/प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 29/10/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

29/10/2026
(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः– 29/10/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

29/10/2026
(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

Scanned with OKEN Scanner

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरमः– 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2– ब्रह्म पाल, सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–134 / 2026
पंजीकरण तिथिः–21.09.2026
निर्णय की तिथिः–22.10.2026

मौ0 मुकीम, परिवादी
पता– तिकोनिया चौराह आर्मी रोड,
खिर प्रकाश गौराज, हलद्वानी,
जिला– नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी(नगर)।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है किः– कि मेरा एक कमर्शियल विद्युत कनेक्शन है जिसका नंबर इस प्रकार है 41500595653 जिसका विद्युत बिल कुछ समय से मुझे प्राप्त नहीं हुआ है, जो कि हर माह नियमित रूप से विद्युत मीटर की MRI की जा रही है, उसके पश्चात जुलाई माह से मुझेबिल प्राप्त नहीं हुआ है। जिसके कारण मुझे अधिक बिल राशि प्राप्त होने के आशकां है आपसे अनुरोध है कि मेरे कमर्शियल विद्युत कनेक्शन की मीटर रीडिंग बिलिंग एवं बिल जनरेट की जांच करवा कर लंबित बिलों को नियमानुसार जारी करवाने तथा प्रत्येक बिल नियमित अवधि में प्राप्त कराने की कृपा करे।

2. विपक्षी / विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र तें कहा गया है कि उपभोक्ता श्री मुकीम, तिकोनिया चौराहा हल्द्वानी A/C 41500595653 का बिलिंग सम्बन्धी शिकायत (वाद सं० 134 / 2026–27) दर्ज है। इस सम्बन्ध में आपके कार्यालय पत्राक 846 / 134 / 2026 दिनाक 21.09.2026 के कम में अवगत कराना है कि उपभोक्ता के शिकायत के सम्बन्ध में मै० अडानी एनर्जी सौत्यूसन लि० पत्र प्रेषित किया गया, जिनके द्वारा उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित मापक की जाँच करने पर पुराना मापक में खराबी पायी गयी, जिस कारण उनके द्वारा मापक परिवर्तित कर नया मापक स्थापित किया गया है, जिसकी

सीलिंग प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न है। अतः उपभोक्ता के अग्रेत्तर स्मार्ट मापक आधारित बिल आगामी माह में निर्मित होगें।

3. परिवादी द्वारा दिनांक 21.10.2026 को ईमेल के माध्यम से मंच के समक्ष अपनी संतुष्टि व्यक्त करते हुये कहा गया कि मेरा विद्युत कनेक्शन संख्याः–41500595653 है विपक्षी/विभाग द्वारा मेरी शिकायत का समाधान कर दिया गया है जिससे मैं संतुष्ट हूं कृपया मेरी शिकायत को बंद कर दीजिए।

4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की बिलिंग से संबंधित शिकायत का निराकरण कर दिया गया है, जिस पर परिवादी ने भी अपनी संतुष्टि मंच के समक्ष व्यक्त की है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–22.10.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

22/10/2026
(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः–22.10.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरमः– 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2– ब्रह्म पाल, सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–135/2026
पंजीकरण तिथिः–21.09.2026
निर्णय की तिथिः–23.10.2026

मौ0 मुकीम, परिवादी
पता–ला0नं0–12,
आजाद नगर, हल्द्वानी,
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी(नगर)।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है किः– मैं विद्युत विभाग का उपभोक्ता हूं मेरा विद्युत कनेक्शन नंबर है, 40232076633 जो कि मेरा स्मार्ट मीटर है और मेरा सोलर मीटर इम्पोर्ट और स्मार्ट मीटर में 171 यूनिट का फर्क आ रहा है जो कि दिनांक 12.07.2026 से 21.08.2026 तक का अंतर है मेरे द्वारा चैक मीटर के लिए अप्लाई करा गया। विभाग के संबंधित व्यक्ति सोलर नए मीटर होने के कारण चैक मीटर नहीं लगाया गया स्मार्ट मीटर लगाने के बाद लगातार मेरा बिल ₹2000 से ₹3000 तक ज्यादा आ रहा है। आपसे अनुरोध है कि मेरी शिकायत दर्ज कर कार्रवाई करते हुए विद्युत स्मार्ट मीटर एवं सोलर नेट मीटर के अंतर को रद्द कर सही बिल जारी करने की कृपा करें।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने प्रतिउत्तर में कहा गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर सोलर मापक 12.07.2026 को स्थापित हुआ है, जबकि मै० अडानी द्वारा नेट मीटरिंग दिनांक 19.08.2026 को ऑन किया गया है। अतः उपभोक्ता को M.R.I आधारित रीडिंग के अनुसार दिनांक 12.07.2026 से 19.08.2026 तक की तिथि में निर्मित (Export units) का समायोजन् कर विल संशोधन् किया जायेगा। अतः निवेदन है . उक्त हेतु समय विस्तार प्रदान करने की हपा करें।

3. विपक्षी/विभाग द्वारा दिनांक 05.10.2026 को अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता श्री मुकीम, तिकोनिया चौराहा हल्द्वानी A/C 40232076633 का बिलिंग सम्बन्धी शिकायत (वाद सं० 135ध्2026–27) दर्ज है। इस सम्बन्ध में आपके कार्यालय पत्राक 885/135/2026 दिनांक 28.09.2026 के कम में अवगत कराना है कि उपभोक्ता के परिसर पर सोलर मापक स्थापन की तिथि 12.07.2026 एवं नेट मीटरिंग ऑन की तिथि, 19.08.2026 का (Export units)का समायोजन M.R.I आधारित रीडिंग के अनुसार किया गया है, जिसके अनुसार उपभोक्ता का (–) 2088.00 सी०सी०बी०आर० कर बिल संशोधन किया गया है। वर्तमान में उपभोक्ता का माह 08/2026 तक बिल अवशेष रू0 4326.00 है।

4. परिवादी द्वारा दिनांक 21.10.2026 को ईमेल के माध्यम से मंच के समक्ष अपनी संतुष्टि व्यक्त करते हुये कहा गया कि मेरा विद्युत कनेक्शन संख्याः–40232076633 है विपक्षी/विभाग द्वारा मेरी शिकायत का समाधान कर दिया गया है जिससे मैं संतुष्ट हूं कृपया मेरी शिकायत को बंद कर दीजिए।

5. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की बिलिंग से संबंधित शिकायत का निराकरण कर दिया गया है, जिस पर परिवादी ने भी अपनी संतुष्टि मंच के समक्ष व्यक्त की है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–23.10.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

23/10/2026
(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः–23.10.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–ब्रह्म पाल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–137 / 2026
पंजीकरण तिथि–24.09.2026
निर्णय तिथि–27.10.2026

विनोद जोशी
छड़ायल सुयाल
मानपुर पश्चिम
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड(ग्रामीण)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी। विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि प्रार्थी के भवन पर लगे विद्युत संयोजन पर एकाएक अत्यधिक बिल आ गया है जिसको सही कराया जाना आवश्यक है। अतः मान्यवर से प्रार्थना है कि प्रार्थी के भवन संयोजन के बिल को संशोधित कराये जाने की कृपा की जावे।
2. विपक्षी / विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 01.10.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता का विद्युत मापक खराब होने से उपभोक्ता के बिल की रीडिंग नही ली जा सकती है। मापक में रीडिंग आने के पश्चात् बिल से सम्बन्धित समस्या का निवारण किया जा सकता है। मार्च–2026 से उपभोक्ता से बार– बार निवेदन करने के पश्चात् भी उपभोक्ता द्वारा खराब मीटर को बदलने नही दिया जा रहा है। जिस कारण उक्त प्रकरण लम्बित है।
3. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 07.10.2026 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु पक्षकार प्रयत्क्ष रूप से मंच के समक्ष उपस्थित हुये। पक्षकारों के तर्क सुने गये।

सुनवाई के दौरान विपक्षी / विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि UERC Regulation के अनुसार IDF मीटर बदला जाना आवश्यक है। IDF मीटर बदलने के बाद ही बिल के संबंध में आख्या प्रस्तुत की जायेगी। मंच द्वारा विपक्षी को आदेशित किया गया कि तीन

दिन के भीतर परिवादी का IDF मीटर बदले, साथ परिवादी से अपेक्षा की गयी की वह भी खराब मीटर बदलने में विपक्षी को सहयोग करे।

4 विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांकित 15.10.2026 में कहा गया है कि मंच द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों के अनुसार उपभोक्ता का विद्युत मापक आज दिनांक 15.10.2026 को प्रातः 11.30 पर बदल दिया गया है।

5. परिवादी द्वारा प्रस्तुत बिन्दुवार प्रतिउत्तर/आपत्ति दिनांकित 24.10.2026 में कहा गया है कि–

(1) यह कि मापक बदलने हेतु आदेशित किया गया था, परन्तु विभाग द्वारा मापक का स्थान भी बदल कर ऐसे स्थान पर लगा दिया गया है जहाँ आने जाने का रास्ता नही है और खेत से होकर जाना पड़ता है जिसमें सांप कीडों का डर/भय बन गया है, व किसी भी आपातकाल की स्थिति में वहाँ पहुचने पर जानोमाल की गम्भीर क्षति उत्पन्न हो सकती है।

(2) यह कि मापक बदलने आये कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा उक्त मापक का स्थान पहले वाले स्थान से विस्थापित करने का कारण विभाग द्वारा विद्युत केबिल उपलब्ध न कराया जाना बताया गया है।

(3) यह कि विद्युत विभाग द्वारा प्रार्थी के खेत के रास्ते में लगी नगर निगम की स्ट्रीट लाईट को भी मनमाने ढंग से काट दिया गया है जो कि विभाग कर्मचारियों/अधिकारियों की बदनियती को दर्शाता है।

(4) यह कि प्रार्थी को बिल मापक बदले जाने की तिथि तक पूर्व के मंच के आदेश के अनुसार 132 यूनिट प्रतिमाह के अनुसार ही बना कर दिया जाये।

(5) यह कि मापक बदलने हेतु आये कर्मचारियों/अधिकारियों के ऐसे कृत्य से समाजिक प्रतिष्ठा का भी हानि हुई है जिससे मानसिक व समाजिक तौर से भी छवि धुमिल हो रही है।

अतः उपरोक्त आपत्ति को पत्रावली पर ग्रहण करते हुये सुसंगतानुसार अग्रेतर कार्यवाही करने की कृपा करें व वाद की सुनवाई व निस्तारण करने की कृपा की जाये।

6. मंच द्वारा वाद पर पुनः सुनवाई हेतु दिनांक 27.10.2026 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु विपक्षी प्रतिनिधि उपस्थित हुये जबकि परिवादी अनुपस्थित रहे। विपक्षी द्वारा आख्या एवं मीटर सीलिंग प्रमाण पत्र पूर्व में ही मंच के समक्ष प्रस्तुत किये जा चुके है। विपक्षी के तर्क सुने गये। तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/अभिलेखों को सम्यक रूप से परिशीलन किया गया।

7. परिवादी ने अपनी मूल शिकायत में बिल संशोधित किये जाने की माग की है। परिवादी ने अपने इसी संयोजन के बिल के संबंध में पूर्व में दिनांक 01.12.2025 को मंच में वाद संख्या 171/2025 दर्ज करवाया था। इस वाद पर मंच द्वारा दिनांक 16.01.2026 को आदेश पारित किया गया। इस आदेश के अनुपालन में विपक्षी द्वारा परिवादी का बिल मंच के आदेशानुसार संशोधित तो किया गया परन्तु परिवादी का IDF मीटर नहीं बदला गया, जिससे मंच के आदेश का पूरी तरह पालन नहीं हो पाया। परिवादी ने भी उक्त अवधि में IDF मीटर बदलवाने में कोई ~~की कोई~~ पहल नहीं की। विपक्षी ने जब 132

यूनिट प्रति माह के स्थान पर नार्मेटिव आधार पर बिल जारी किया तो परिवादी ने पुनः मंच में यह वाद दायर करवाया।

अब मंच के आदेश पर विपक्षी ने परिवादी का मापक बदल दिया है जिससे पूर्व आदेश दिनांकित 16.01.2026 का अनुपालन तो हो गया है परन्तु पुनः बिल का विवाद उत्पन्न हो गया है। ऐसी दशा में मंच के मत में परिवादी का बीजक संशोधित किया जाना आवश्यक है। यह संशोधन IDF अवधि के लिए 132 यूनिट प्रति माह के आधार पर ही किया जायेगा तथा नया स्मार्ट मीटर स्थापित किये जाने की तिथि के बाद का बीजक वास्तविक रीडिंग के आधार पर जारी किया जाना न्यायोचित होगा।

परिवादी द्वारा दिनांक 24.10.2026 को दिये गये पत्र में उठाये गये बिंदुओं में से बिंदु संख्या 04 के अतिरिक्त किसी भी बिंदु पर यह मंच कोई आदेश पारित नहीं कर सकता।

आदेश

परिवादी की मूल शिकायत स्वीकार की जाती है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी को IDF अवधि के लिए 132 यूनिट प्रति माह का बीजक जारी करे। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगें। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत औम्बड्समैन, 80 बसंत विहार, देहरादून के समक्ष प्रत्यावेदन/अपील प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—27/10/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः—27/10/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरमः– 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–ब्रह्म पाल, सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–138/2026
पंजीकरण तिथिः– 25.09.2026
निर्णय की तिथिः– 30.10.2026

भूपेन्द्र सिंह मेहरा,
अधिकृत प्रतिनिधि व पार्टनर द मेहरा कार्बेट रिर्सोट,
ग्राम–खुशालपुर बुक्सा, पो0–छोई, तह0–रामनगर,
जिला–नैनीताल। — परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
रामनगर। — विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है किः– प्रार्थी द्वारा दि०–06.05.2020 को कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर (नैनीताल) में अपने रिर्सोट द मेहरा कार्बेट रिर्सोट हेतु ग्राम खुशालपुर बुक्सा, पो० छोई, तहसील–रामनगर में 60 किलोवाट विद्युत भार का नया संयोजन आवेदन किया गया था। सप्लाई कोड, 2020 के बिन्दु सें०–3.3.3 (एल. टी. संयोजन के लिये आवेदन पर कार्यवाही) के उप बिन्दु सें0–9 में यह प्रावधान है कि यदि निरीक्षण पर कोई त्रुटि नहीं पायी जाती है, या त्रुटियां दूर कर दी पायी जाती है तथा कोई देय राशि बकाया नही है, या उसका भुगतान कर दिया गया है, तो अनुज्ञप्तिधारी आवेदक द्वारा आवेदन किये अनुसार भार स्वीकृत करेगा तथा तथा उसकी सूचना आवेदन पत्र प्राप्ति से पॉच दिवस के भीतर लिखित में आवेदक को देगा। यदि आवेदन की तिथी से पॉच दिवस के भीतर आवेदक को कोई त्रुटि नोट या मॉग नोट प्राप्त नहीं होता, तो भार, इसमे दिये हुये उप विनियम के अनुसार स्वीकृत कर समझ लिया जायेगा प्रार्थी के आवेदन पर विद्युत भार दि०–03.07.2026 को स्वीकृत किया गया अर्थात आवेदन की तिथी के 59 दिन बाद विद्युत भार स्वीकृत किया गया। प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त विनियम 3.3.3 के उप विनियम 9 का सीधा उल्लघंन किया

Scanned with OKEN Scanner

गया, यदि प्रतिवादी द्वारा आवेदन दि०–06.05.2026 के 05 दिवस के भीतर अर्थात दि०–10.6.2026 तक विद्युत भार स्वीकृत कर डिमाण्ड नोट प्रेषित कर दिया होता, तो प्रार्थी ससमय धनाराशि जमा कर देता, लेकिन डिमाण्ड नोट 03.07.2026 को दिया गया, जिसके सापेक्ष प्रार्थी दि०–20.07.2026 को रू0 4,68,000.00 के जमा किये गये, जिसका रसीद सँ०– 3443520072613040003 है। सप्लाई कोड, 2020 के बिन्दु सें0–3.3.3 (एल. टी. संयोजन के लिये आवेदन पर कार्यवाही) के उप बिन्दु सें0–16 (वी) के अनुसार प्रतिवादी को 90 दिन के अन्दर संयोजन प्रदान करना होता है और 90 दिन की सीमा धनराशि जमा करने के पश्चात प्रारम्भ हाती है, परन्तु यदि प्रतिवादी आवेदन प्राप्ति के 05 दिवस के भीतर विद्युत भार स्वीकृत कर माँग नोट आवेदक को प्रेषित ही नहीं करेगा तो आवेदक धनराशि ससमय कहाँ से जमा करेगा एवं 90 दिन की सीमा का प्रभाव तभी रहेगा तब माँग नोट 05 दिन के भीतर आवेदक को प्रदान करे। प्रार्थी द्वारा धनराशि जमा किये हुये 64 दिन पूर्ण हो गये लेकिन वर्तमान तक मेरे परिसर तक न तो विद्युत लाईन बनायी गयी है और न ही ट्रांसफारमर लगाया गया है। धनराशि जमा करने 64 दिन बाद भी कोई भी विभागीय कर्मचारी या अधिकारी परिसर में झांकने तक नहीं आया। जिस कारणवश मैं अपने रिर्सोट को आज दिनोंक तक प्रारम्भ ही नहीं कर पाया हूँ। अतः महोदय से निवेदन है कि आप प्रतिवादी अधिशाषी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, रामनगर (नैनीताल) को आदेशित करने कष्ट करें कि अविलम्ब प्रार्थी को विद्युत संयोजन प्रदान करे एवं विलम्ब के लिये जिम्मेदार अधिकारी व कर्मचारी के ऊपर नियमानुसार कार्यवाही कर पैनल्टी लगाने का कष्ट करें।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि कि पूर्व में तैनात अवर अभियन्ता श्री होशियार सिंह भण्डारी द्वारा साईट का निरीक्षण करने पर पाया कि आवेदनकर्ता द्वारा परिसर पर एल.टी संयोजन हेतु कार्य पूर्ण नहीं किया गया था. कार्य पूर्ण करने हेतु आवेदनकर्ता को भी मौखिक रूप से अवगत कराया गया था। मा० फोरम को यह भी अवगत कराना है कि अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल हल्द्वानी द्वारा श्री होशियार सिंह भण्डारी, अवर अभियन्ता, 33/11 के. वी उपसंस्थान बैलपड़ाव को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अन्तर्गत प्रथम सूचना आख्या सं० 160/2026 दिनांक 23. 05.2026 (धारा 103 (1).115 (2). 140 (3) एवं 352) के सापेक्ष पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने के कारण दिनांक 23.05.2026 से निलम्बित कर दिया गया। उक्त अवर अभियन्ता के निलम्बन के पश्चात् मुख्य अभियन्ता महोदय, (कुमाऊँ क्षेत्र) हल्द्वानी द्वारा श्री दीपक कुमार बिष्ट अवर अभियन्ता 33/11 के.वी उपसंस्थान कालाढूंगी को बैलपड़ाव उपकेन्द्र का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया, जिसके क्रम में श्री दीपक कुमार बिष्ट अवर अभियन्ता द्वारा दिनांक 15.06.2026 को बैलपडाव उपकेन्द्र का अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण किया गया। बैलपडाव उपकेन्द्र से सम्बन्धित ऑन लाईन आर०ए०पी०डी०आर० का कार्य सम्पादन हेतु दिनांक 22.06.2026 को ऑन लाईन आई.डी बनी। श्री दीपक कुमार बिष्ट, अवर अभियन्ता द्वारा उनके बैलपडाव वाली ऑन लाईन आर०ए०पी०डी०आर० आई में निरीक्षण हेतु आये आवेदन संख्या 467060526013 पर सम्बन्धित परिसर का निरीक्षण कर दिनांक 30 जून 2026 को अपनी आई से अग्रसारित किया गया। जिसके पश्चात् अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा भार स्वीकृति हेतु दिनाक 1 जुलाई 2026 अग्रसारित किया गया, तथा अधिशासी अभियन्ता द्वारा दिनांक 3 जुलाई को भार स्वीकृत किया गया। जिसके पश्चात् आवेदनकर्ता द्वारा दिनांक 20 जुलाई 2026 को संयोजन हेतु शुल्क जमा किया गया। आवेदनकर्ता द्वारा शुल्क जमा करने के पश्चात् एस.टी.ओ तैयार कर भण्डार केन्द्र

Scanned with OKEN Scanner

को भेजा गया। वर्तमान में उक्त आवेदन को निर्गत करने का कार्य प्रगति पर है, भण्डार केन्द्र से पूर्ण सामग्री प्राप्त होने के पश्चात् संयोजन को निर्गत किया जा सकेगा।

3. परिवादी द्वारा दिनांक 22.10.2026 को अपने प्रतिउत्तर में कहा गया है कि उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनो को जारी करना तथा सम्बन्धित मामले) विनियम, 2020 के विनियम 3.3.3 (एल० टी० संयोजन के आवेदन पर कार्यवाही) के बिन्दु सं0–5 में यह प्रावधान है कि यदि अनुज्ञप्तिधारी को परीक्षण पर कोई त्रुटि मिलती है जैसे कि संस्थापन का पूरा न होना या कंडक्टर के अनावृत सिरों को या जोड़ों के इंसुलेटिंग टेप से पूरी तरह ढका न होना या वायरिंग का इस प्रकार किया जाना कि वह जीवन/सम्पत्ति आदि के लिये खतरनाक हो, तो वह अनुलग्नक I-A में दिये गये प्रपत्र में उसी समय रसीद के साथ आवेदक को उसकी सूचना देगा। परन्तु विद्वान प्रतिवादी द्वारा अपने उत्तर पत्र में यह उत्तर प्रस्तुत किया गया है कि निरीक्षण करने पर पाया गया कि आवेदनकर्ता द्वारा परिसर पर एल०टी० संयोजन हेतु कार्य पूर्ण नहीं किया गया था, कार्य पूर्ण करने हेतु आवेदनकर्ता को मौखिक रूप से अवगत कराया गया था अर्थात प्रतिवादी को उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति संहिता, नये संयोजनो को जारी करना तथा समबन्धित मामले) विनियम, 2020 में दिये गये प्रावधानो का कोई ज्ञान ही नहीं है. यदि कार्य पूर्ण नही था तो प्रतिवादी को उपरोक्त विनियम में दिये गये प्रावधान के अनुसार अनुलग्नक I-A में दिये गये प्रपत्र में उसी समय रसीद के साथ मुझे सूचित करना चाहिये था, परन्तु प्रतिवादी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया गया एवं अपने स्तर पर हुये विलम्ब को उचित सिद्ध करने हेतु अविधिपूर्ण तर्क उत्तर पत्र में प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादी द्वारा अपने उत्तर पत्र में अवर अभियन्ता श्री होशियार भण्डारी के निलम्बन से सम्बन्धित जो तथ्य प्रस्तुत किये है, उस सम्बन्ध मे मेरा यह प्रतिउत्तर है कि सरकारी विभागों में कर्मचारियों व अधिकारियों के निलम्बन व स्थानान्तरण आदि कार्य होते रहते हैं। इस प्रकार की कार्यवाहियों के होते रहने से क्या आम जनमानस से सम्बन्धित कार्यो को मानक सीमा के भीतर पूर्ण न करने का कोई विधिक अधिकार प्रतिवादी को किसी प्रावधान से प्राप्त है क्या ? यदि ऐसा कोई अधिकार किसी प्रावधान से प्राप्त है तो प्रतिवादी मुझे उस प्रावधान से अवगत करवा दे। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी ने अपने उत्तर पत्र में यह लिखा है कि वर्तमान में उक्त ओवदन को निर्गत करने का कर्य प्रगति पर है। प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत यह उत्तर पूर्ण रूप से असत्य है क्यों कि आज दि०– 14.10.2026 तक प्रतिवादी या उसका किसी भी कर्मचारी द्वारा मेरे परिसर तक न तो कोई लाईन बनाई गयी है और नही परिवर्तक लगाया गया है। इस सम्बन्ध में मेरी माननीय फोरम से विनम्र प्रार्थना है कि प्रतिवादी के इस कथन की पुष्टि अधिशासी अभियन्ता, भण्डार खण्ड, हल्द्वानी (नैनीताल) से कर ली जाये कि प्रतिवादी द्वारा कब और कितना माल मेरे संयोजन के आवेदन के सोपक्ष भण्डार खण्ड से प्राप्त किया गया है। महोदय आपको बहुत ही विनम्रतापूर्वक अवगत कराना है कि दि0–24.10.2026 तक मुझे नवीन संयोजन हेतु धनराशि जमा किये हुये 97 दिन पूर्ण हो जायेंगें, जो कि विद्युत आपूर्ति संहिता, 2020 में दिये गये 90 दिन की मानक समयसीमा का अतिक्रमण होगा। प्रतिवादी के इस प्रकार के कार्यप्रणाली से मुझ वादी को असहनीय मानसिक व आर्थिक आघात पहुँचा है, बिना विद्युत के संयोजन के मेरा रिर्सोट प्रारम्भ ही नहीं हो सका है। अतः मेरा माननीय फोरम से विनम्र निवेदन है कि मुझे अविलम्ब विद्युत संयोजन प्रदान करवाया

Scanned with OKEN Scanner

जाये एवं प्रतिवादी पर विद्युत आपूर्ति संहिता, 2020 मे दिये गये प्रावधानो के अधीन पैनल्टी अधिरोपित कर मुझे क्षतिपूर्ति भी प्रदान करवाने का कष्ट करें। आपकी अति अनुकम्पा होगी।

4. दिनांक 27/10/2026 को उभय पक्ष मंच में सुनवाई हेतु उपस्थित हुए। सुनवाई के समय उपखण्ड अधिकारी द्वारा बताया गया कि परिवादी को विद्युत संयोजन अवमुक्त कर दिया गया है तथा संयोजन अवमुक्त होने में हुई देरी के लिए वह क्षमा प्रर्थी हैं, देरी के कारणों के संबंध में परिवादी को भी अवगत करा दिया गया है। परिवादी ने मंच के समक्ष स्वीकार किया कि उन्हें विद्युत संयोजन अवमुक्त कर दिया गया है तथा वह विभाग की कार्यवाही से संतुष्ट हैं।

5. मंच द्वारा उभय पक्षों को सुना गया एवं पत्रावली का सम्यक रुप से परिशीलन किया गया। विपक्षी द्वारा परिवादी की संयोजन संबंधी शिकायत का निवारण कर दिया गया है, जिस पर परिवादी ने भी संतुष्टि व्यक्त की है। अतः इस वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः— 30/10/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

30/10/2026
(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः— 30/10/2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

30/10/2026
(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

Scanned with OKEN Scanner

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2–ब्रह्म पाल, सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

परिवाद संख्या–139 / 2026
पंजीकरण तिथि–28.09.2026
निर्णय तिथि–30.10.2026

तारा देवी
पत्नी भुवन चन्द्र तिवारी
ग्राम–गंगापुर छोई
रामनगर
जिला–नैनीताल। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
रामनगर। विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा प्रस्तुत शिकायती पत्र में कहा गया है कि मैं, तारा देवी, पत्नी श्री भुवन चंद्र तिवारी, निवासी ग्राम–गंगापुर छोई, रामनगर, जिला–नैनीताल, पिन कोड–244715, इस ईमेल के माध्यम से आपके समक्ष यूपीसीएल (UPCL) के अधिकारियों द्वारा किए जा रहे गैर–कानूनी कार्य के खिलाफ शिकायत दर्ज करा रही हूँ। यह मामला रामनगर विद्युत वितरण खंड के अंतर्गत आने वाले हमारे परिसर/रिसॉर्ट का है, जो कि ग्राम–गंगापुर छोई (Gangapur Chhoi), रामनगर, जिला–नैनीताल, पिन कोड–244715 में स्थित है। इस परिसर का बिजली कनेक्शन मेरे नाम पर ही विभाग के रिकॉर्ड में पंजीकृत (Registered Consumer) है, जिसकी बिजली खाता संख्या (Account ID) 42000601947 है। इस संबंध में मुख्य तथ्य निम्नलिखित हैं–

लिखित आपत्ति के बावजूद अवैध कार्यः दिनांक 14 सितम्बर 2026 को मेरे द्वारा विभाग को लिखित आवेदन (कागज संलग्न) देकर स्पष्ट अनुरोध किया गया था और बकायदा लिखा गया था कि मेरी अगली लिखित सूचना या अनुमति के बिना इस परिसर का कनेक्शन न जोड़ा जाए।

नियमों का घोर उल्लंघन और सांठगांठः इसके बावजूद, रामनगर बिजली विभाग के स्थानीय अधिकारियों और कर्मचारियों ने पंजीकृत उपभोक्ता (मेरी) लिखित असहमति को

Scanned with OKEN Scanner

दरकिनार करते हुए, एक तीसरे पक्ष (किराएदार) के साथ अनुचित सांठगांठ की। बिना मेरी अनुमति और बिना मेरे हस्ताक्षर के, नियमों के विरुद्ध जाकर कनेक्शन को दोबारा चालू कर दिया गया।

उच्च अधिकारियों का उदासीन रवैया : जब आज दिनांक 26 सितंबर 2026 को इस विषय में मेरे प्रतिनिधि द्वारा अधिशासी अभियंता (XEN) रामनगर से व्यक्तिगत रूप से शिकायत की गई, तो उन्होंने नियमों का कोई लिखित हवाला देने के बजाय मौखिक रूप से टालमटोल किया और परमानेंट डिस्कनेक्शन (PD) कराने या कोर्ट का आदेश लाने की अवैध शर्तें रखीं, जो कि UERC Supply Code 2020 के विपरीत है।

वित्तीय एवं कानूनी जोखिम : मेरे द्वारा 14 सितम्बर 2026 को लिखित मनाही करने के बावजूद जबरन कनेक्शन चालू रखने से मेरे ऊपर भविष्य में भारी वित्तीय देनदारी और कानूनी जोखिम उत्पन्न कर दिया गया है, जो कि विभाग द्वारा सेवा में घोर कमी (Deficiency of Service) और पद के दुरुपयोग को दर्शाता है।

अतः फोरम से विनम्र प्रार्थना है कि–विपक्षी (XEN रामनगर) को तत्काल आदेशित किया जाए कि वह इस अवैध रूप से चालू किए गए कनेक्शन को तुरंत विच्छेदित (Disconnect) करे। दिनांक 14 सितम्बर 2026 की हमारी लिखित मनाही की अवधि के बाद से लेकर कनेक्शन कटने तक की अवधि के दौरान बिना सहमति के बनाए गए समस्त बिजली बिल को पूर्णतः निरस्त (माफ) किया जाए। नियमों का उल्लंघन कर बिना ओनर (मेरे) हस्ताक्षर के री–कनेक्शन फाइल पास करने वाले दोषी अधिकारियों के खिलाफ सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत पत्रों (पत्रांक.6686 दिनांक 05.10.2026 व पत्रांक–6871 दिनांक 14.10.2026) द्वारा उत्तर पत्र हेतु अतिरिक्त समय की मांग की गयी।

3. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 22.10.2026 में कहा गया कि विद्युत संयोजन संख्या–RR0K000999981 पर विद्युत बकाया होने के कारण दिनांक 14.09.2026 को अस्थाई रूप से काटा गया था, उपभोक्ता द्वारा दिनांक 24.09.2026 को बकाया धनराशि जमा करने के उपरान्त एवं Reconnection शुल्क जमा करने के पश्चात विद्युत संयोजन जोड़ दिया गया था।

4. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 27.10.2026 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु विभागीय प्रतिनिधि (SDO) उपस्थित हुये जबकि परिवादी अनुपस्थित रहे। विपक्षी के तर्क सुने गये।

5. मंच द्वारा पत्रावली का सम्यक रुप से अवलोकन किया गया। परिवादी की शिकायत से यह प्रतीत होता है कि उनका अपने किराएदार के साथ विद्युत भुगतान अथवा किराएदारी को लेकर विवाद चल रहा है। विद्युत संयोजन परिवादी के नाम पर है तथा वह नहीं चाहते कि इस संयोजन से उनका किराएदार विद्युत का उपभोग करे। बकाया के आधार पर अस्थाई रुप से विच्छेदित किए गए इस संयोजन को विपक्षी/विभाग ने बकाया भुगतान होने और पुनर्संयोजन शुल्क जमा होने के बाद पुनः जोड़ा है, जिस पर

Scanned with OKEN Scanner

परिवादी ने आपत्ति की है। अर्थात परिवादी अपने परिसर पर लगे विद्युत संयोजन का भुगतान भी नहीं करना चाहता और ना ही कनेक्शन को स्थाई रुप से विच्छेदित करवाना चाहता है। परिवादी का विद्युत संयोजन को लेकर अथवा किसी अन्य प्रकार से अपने किराएदार के साथ यदि कोई विवाद है तो इससे विपक्षी/यूपीसीएल का कोई लेना देना नहीं है। परिवादी चाहे तो अपने संयोजन को स्थाई रुप से विच्छेदित करवा सकता है। प्रस्तुत प्रकरण में यह मंच परिवादी द्वारा चाहे गए अनुतोष के संबंध में कोई आदेश पारित नही कर सकता। परिवादी अपने संयोजन के स्थाई विच्छेदन के लिए विपक्षी के कार्यालय में निर्धारित स्थाई विच्छेदन शुल्क के साथ आवेदन कर सकता है। मंच के मत में यह वाद खारिज किए जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून के समक्ष अपील/प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः— 30/10/2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(ब्रह्म पाल)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

30/10/2026

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः— 30/10/2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(ब्रह्म पाल)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

Scanned with OKEN Scanner

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरमः– 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2– ब्रह्म पाल, सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–140/2026
पंजीकरण तिथिः–29.09.2026
निर्णय की तिथिः–23.10.2026

लीला देवी, परिवादी
शाकम्बरी विहार, मल्ली बमोरी,
लाल डांठ रोड हल्द्वानी,
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी(ग्रामीण)।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है किः– I am writing on behalf of my mother to bring to your attention that her electricity bill has not been generated since April 2026. I previously raised this issue on August 18, 2026, via the toll-free number 1912 (Complaint No.21808260619), but the matter remains unresolved. Please find the attachement

Account Details:
- Consumer Name: LILA DEVI
- Account No.: 42100124951
- Contact No.: 7060459208
- address: Shakambari vihar, Malli bamori, Laal danth road haldwani

Please also notes since the bill will come for more then 6 months. I may be able to pay in one payment. Kindly issue the payment in installments.

Also note i will not be able to pay the bill at higher rates. Please consider lower bill rates.

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि शिकायतकर्ता श्रीमती लीला देवी (अकाउंट न०–42100124951) द्वारा बिलिंग संम्बन्धी प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में मंच को अवगत कराना हैं कि शिकायतकर्ता की समस्या के निदान हेतु M/S Adani Energy Solution Ltd. से पत्राचार चलं रहा हैं, अतः निवेदन हैं कि उक्त शिकायत के निवारण हेतु दस दिवस का समय देने की कृपा करें।

3. परिवादी द्वारा दिनांक 13.10.2026 को ईमेल के माध्यम से मंच के समक्ष अपनी संतुष्टि व्यक्त करते हुये कहा गया कि I like to inform you that I received my electricity bill for the last 183 days yesterday. Period of bill: 31.03.2026 to 30.09.2026. I like to thank all parties involved in resolving the issue.

4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की बिलिंग से संबंधित शिकायत का निराकरण कर दिया गया है, जिस पर परिवादी ने भी अपनी संतुष्टि मंच के समक्ष व्यक्त की है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–23.10.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः–23.10.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरमः– 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2– ब्रह्म पाल, सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–143 / 2026
पंजीकरण तिथिः–07.10.2026
निर्णय की तिथिः–27.10.2026

नन्दकिशोर चोपडा, परिवादी
दौलियॉ नं0–02, हल्दूचौड़,
लालकुऑ, जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी(ग्रामीण)।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है किः– श्री नंदकिशोर चोपड़ा (40120147941)अकाउंट नंबर का मीटर खराब होने व रीडिंग अधिक आने के कारण बिल ज्यादा आने की समस्या उत्पन्न हो रही है। अतः महोदय से नम्र निवेदन है की प्रार्थी सितंबर 2025 से आज 07.10.2026 तक बिजली बिल से परेशान हैं। पहले कई बार लालकुआं डिपार्टमेंट (कार्यालय) में शिकायत पर कोई निष्कर्ष नहीं निकला गया। अतः आपसे नम्र निवेदन है कि आप प्रार्थी की सहायता करने की कष्ट करें।

2. विपक्षी / विभाग द्वारा दिनांक 15.10.2026 को अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता नन्दकिशोर चोपडा, दौलिया नं0–02, हल्दूचौड़, लालकुआँ, जिला– नैनीताल द्वारा बिलिंग सम्बन्धित शिकायत उपभोक्ता कनैक्शन संख्या / एकाउण्ड नं0 40120147971 में चैक मीटर लगाने के उपरान्त मीटर में अन्तर पाये जाने के कारण मीटर दिनॉक 05 / 10 / 2026 को बदल दिया गया। जिसकी मीटर चैंज सीलिंग प्रमाण पत्र विद्युत परीक्षण खण्ड हल्द्वानी द्वारा अभी सिस्टम में फीड नहीं हुयी है, जिसकी सूचना जेई मीटर को व्हाट्सएप्प के माध्यम से बता दिया गया है। जैसे ही सीलिंग प्रमाण पत्र फीड हो जायेगा उपभोक्ता के नये मीटर का बिल बना दिया जायेगा तथा चैक मीटर अन्तर के अनुसार उपभोक्ता के बिल में सुधार कर दिया जायेगा।

3. मंच द्वारा विपक्षी/विभाग को दिनांक 15.10.2026 को निर्देशित किया गया वह दिनांक 24.10.2026 तक मंच के समक्ष संशोधित बीजक मंच में प्रस्तुत करें।

4. विपक्षी/विभाग द्वारा दिनांक 24.10.2026 को अपने उत्तर पत्र में कहा गया कि उपभोक्ता द्वारा की गयी शिकायत के आधार पर विद्युत संयोजन संख्या–392N31400674। की जाँच करने पर पाया गया की उक्त संयोजन मैं चैक मापक लगाया गया है, जोकि फाइनल किया जा चुका है। वर्तमान में जम्प यूनिट्स को औसत यूनिट्स के आधार पर संसोधित कर दिया गया है।

5. परिवादी द्वारा दिनांक 27.10.2026 को मंच के समक्ष अपनी संतुष्टि व्यक्त करते हुये कहा गया कि मै विपक्षी/विभाग की कार्यवाही संतुष्ट है। मेरी कार्यवाही पूरी हुई।

6. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की बिलिंग से संबंधित शिकायत का निराकरण कर दिया गया है, जिस पर परिवादी ने भी अपनी संतुष्टि मंच के समक्ष व्यक्त की है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–27.10.2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(ब्रह्म पाल)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः–27.10.2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(ब्रह्म पाल)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी, जिला–नैनीताल

कोरम 1–विष्णु प्रसाद डोगाल, सदस्य(न्यायिक)
2–ब्रह्म पाल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202609140001
पंजीकरण तिथि–14.09.2026
निर्णय तिथि–31.10.2026

लता पाण्डेय
कृष्णकुंज कॉलोनी
रामनगर
जिला–नैनीताल। परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
रामनगर। विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा CGRF, Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि "**Electricity bill for Feb 2026 is ₹ 936, which is unusually high compared to normal bills before and after that month. No change in usage occurred. Please verify the meter reading and billing calculation for Feb 2026 and correct the bill if any error.**"
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांकित 22.09.2026 में कहा गया है कि वाद के उत्तर तैयार करने में समय लग रहा है। अतः महोदय से अनुरोध है कि वाद का उत्तर प्रस्तुत करने हेतु अतिरिक्त समय प्रदान करने का कष्ट करे।
3. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 29.09.2026 में कहा गया है कि शिकायतकर्ता के संयोजन पर स्मार्ट मीटर संख्या 42022406 स्थापित है तथा संयोजन पर सोलर भी स्थापित है। संयोजन के विश्लेषण करने पर उक्त संयोजन का सन्दर्भित माह का बिल Import तथा Export डेटा के आधार पर ही निर्गत किया गया है जो कि सही है। अतः बिल में संशोधन किया जाना अपेक्षित नहीं है। अवलोकन हेतु मीटर का डेटा ई–मेल के माध्यम से भी प्रेषित किया जा रहा है।
4. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 08.10.2026 की तिथि नियत की गयी। उक्त सुनवाई के संबंध में विपक्षी द्वारा पत्र (पत्रांक–8722, दिनांक 08.10.2026) प्रस्तुत अवगत कराया गया कि दिनांक 08–10–2026 को श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, नैनीताल द्वारा रामनगर में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन होना है, जिस कारण विषयांकित वाद की सुनवाई हेतु कोई अगली तिथि निर्धारित करने का कष्ट करे।

Scanned with OKEN Scanner

5. मंच द्वारा वाद पर पुनः सुनवाई हेतु दिनांक 27.10.2026 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु विपक्षी उपस्थित हुये जबकि परिवादी अनुपस्थित रहे। विपक्षी के तर्क सुने गये तथा सुनवाई के बाद पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया।
6. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विपक्षी ने परिवादी को मीटर में विद्युत यूनिटों के आयात एवं निर्यात डाटा के आधार पर ही बिल जारी किया है। अतः वास्तविक मीटर रीडिंग के आधार पर जारी बिल में यह मंच किसी भी प्रकार के संशोधन का आदेश पारित नहीं कर सकता। परिवादी को यदि अपना मीटर तेज चलने की आशंका है तो वह विपक्षी के कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कर मीटर की शुद्धता जांचने हेतु चैक मीटर के लिए आवेदन कर सकता है। मंच में यह वाद खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का वाद खारिज किया जाता है। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून के समक्ष अपील/प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः– 31/10/2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(ब्रह्म पाल)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः– 31/10/2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(ब्रह्म पाल)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

Scanned with OKEN Scanner

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी जिला–नैनीताल

कोरम 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य(न्यायिक)
2–ब्रह्म पाल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202609240003
पंजीकरण तिथि–25.09.2026
निर्णय तिथि–08.10.2026

मो0 युसुफ
जकारिया मस्जिद के पास
संजीवनी अस्पताल खताड़ी
रामनगर
जिला–नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
रामनगर।

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा CGRF, Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि " **Meter Current Name is wrong please replace the name is correct Mohammad Yusuf s/o Karim Baksh.**"
2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 05.10.2026 में कहा गया है कि शिकायतकर्ता द्वारा संयोजन संख्या आर आर 2/2748/025861 में नामान्तरण से सम्बन्धित शिकायत की गयी है। शिकायतकर्ता ने दिनांक 24.09 2026 को ऑनरशिप चेन्ज करने हेतु ऑनलाईन आवेदन किया गया था जो कि गलत आवेदन किया गया था जबवि उपभोक्ता अपना नाम में करैक्शन चाहता था। उपभोक्ता की शिकायत एवं संलग्न आधार कार्ड के अनुसार उपभोक्ता का नाम सही कर दिया गया है।
3. परिवादी द्वारा व्हाट्सएप के माध्यम से प्रस्तुत प्रतिउत्तर/संतुष्टि पत्र दिनांकित 05.10.2026 में कहा गया है कि "**My issue has been resolved. Therefore, I request you to kindly close my complaint.**"
4. मंच द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। विपक्षी द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र के अवलोकन व परिवादी के संतुष्टि पत्र (दिनांक 05.10.2026) से स्पष्ट है कि विपक्षी द्वारा परिवादी की मूल शिकायत का निराकरण कर दिया गया है। जिस कारण वाद को आगे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। अतः वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिये जाने व परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—08 / 10 / 2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(ब्रह्म पाल)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः—08 / 10 / 2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(ब्रह्म पाल)	(विष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी, जिला–नैनीताल

कोरम 1–विष्णु प्रसाद डोगाल, सदस्य(न्यायिक)
2–ब्रह्म पाल, सदस्य(तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202609280001
पंजीकरण तिथि–29.09.2026
निर्णय तिथि– 31.10.2026

फूलमती
इन्द्रानगर, हल्द्वानी
जिला–नैनीताल।

परिवादी

बनाम

अधिशासी अभियन्ता
विद्युत वितरण खण्ड (नगर)
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी।

विपक्षी

निर्णय

1. परिवादी द्वारा CGRF, Complaint पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रस्तुत करते हुये कहा गया है कि "Irregular bills since June 2022 , including negative bill amount in Aug 24 & Nov 24 , from Mar 25 to Aug 25 . So current meter readings may not be correct for generating bill, as meter was generating incorrect (negative) billing since 2024."

2. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत उत्तर पत्र दिनांकित 05.10.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर वर्तमान में स्मार्ट मापक स्थापित किया गया है, एवं स्मार्ट मापक आधारित बिल निर्मित किये जाने हेतु कार्यवाही गतिमान है, परिवर्तित मापक की सीलिंग की छायाप्रति संलग्न है। अतः इस सम्बन्ध में निवेदन है कि उक्त हेतु समय विस्तार प्रदान करने की कृपा करें।

3. विपक्षी/विभाग द्वारा प्रस्तुत एक अन्य आख्या दिनांकित 21.10.2026 में कहा गया है कि उपभोक्ता के परिसर पर वर्तमान में स्मार्ट मापक स्थापित किया गया है, उपभोक्ता का वर्तमान में स्मार्ट मापक आधारित बिल माह 09/2026 त्रुटिपूर्ण निर्मित हुआ है। अतः निवेदन है कि उपभोक्ता के बिल को सही निर्मित किये जाने की कार्यवाही की जा रही जिस हेतु समय विस्तार प्रदान करने की कृपा करें। विपक्षी की समय विस्तार की मांग

Scanned with OKEN Scanner

स्वीकार की गयी तथा विस्तृत आख्या प्रस्तुत करने हेतु 24.10.2026 की तिथि नियत की गयी।

4. विपक्षी/विभाग द्वारा दिनांकित 24.10.2026 को आख्या प्रस्तुत कर कहा गया कि उपभोक्ता के परिसर पर वर्तमान में स्मार्ट मापक स्थापित किया गया है, उपभोक्ता का वर्तमान में स्मार्ट मापक आधारित बिल माह 09/2026 त्रुटिपूर्ण निर्मित हुआ है।

5. इस क्रम में उपभोक्ता के परिसर पर स्थापित पुराने मापक की **M.R.I** करायी गई, जिसके अनुसार उपभोक्ता के पुराने मापक की अंतिम रीडिंग 44182 पायी गई। **M.R.I** रिपोर्ट के आधार पर उपभोक्ता का माह 02/2025 से 09/2026 तक बिल 44182–31663=12519 यूनिट का मासिक औसत आधार पर लागू टैरिफ दरों के अनुसार रू० 86685.00 (+) **CCBR** कर उपभोक्ता के बिल में जोडा गया है। जिस कारण उपभोक्ता का संशोधन के उपरान्त माह 09/2026 तक बिल अवशेष रू० 86733.00 है।

6. मंच द्वारा वाद पर सुनवाई हेतु दिनांक 27.10.2026 की तिथि नियत की गयी। सुनवाई हेतु उभय पक्ष मंच के समक्ष प्रयत्क्ष रूप से उपस्थित हुये। विपक्षी/विभाग द्वारा आख्या व **MRI** रिपोर्ट मंच में प्रस्तुत की गयी। पक्षकारों के तर्क सुने गये तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों/अभिलेखों का अवलोकन किया गया। परिवादी के बदले गये मापक के चित्र एवं मापक की एमआरआई रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि मीटर बदलने वाले कर्मचारी ने सीलिंग प्रमाण पत्र में जान बूझकर रीडिंग के स्थान पर आईडीएफ भरा है। इसी प्रकार मीटर की रीडिंग करने वाले कर्मचारी ने भी प्रत्येक माह खपत से काफी कम रीडिंग भरकर बिल बनाये हैं। इन दोनों ही कर्मचारियों ने विभाग को वित्तीय हानि पहुंचाने का काम किया है जिसके लिए विपक्षी से अपेक्षा की जाती है कि वह मीटर रीडिंग करने एवं मीटर बदलने वाले कर्मियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगा। इन कर्मियों की लापरवाही के कारण ही रोकी गई मीटर रीडिंगों का एकमुश्त भार उपभोक्ता पर पड़ रहा है। विपक्षी ने हालांकि माह 02/2025 से 09/2026 तक का बिल कुल खपत को मासिक औसत आधार पर लागू टैरिफ दरों के अनुसार निर्मित कर दिया है परन्तु मंच के मत में परिवादी का बीजक 28.12.2023 से मीटर बदले जाने की तिथि तक की खपत को मासिक औसत आधार पर विभाजित करते हुए उचित टैरिफ दर पर बिल संशोधित किया जाना न्यायोचित होगा।

आदेश

वाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि परिवादी का बिल दिनांक 28.12.2023 से मीटर बदले जाने की तिथि तक मासिक औसत आधार पर समय–समय पर लागू टैरिफ दरों के अनुसार पर संशोधित करे। उक्त अवधि में परिवादी द्वारा जमा करायी गयी समस्त धनराशि का समायोजन किया जाए तथा इस प्रकार

Scanned with OKEN Scanner

संशोधित बीजक पर कोई विलंब भुगतान अधिभार आरोपित नहीं किया जाएगा। विपक्षी इस आदेश की अनुपालन आख्या 30 दिन के भीतर मंच में प्रस्तुत करे। उभय पक्ष अपना वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे। इस निर्णय से संतुष्ट नहीं होने पर परिवादी आदेश प्राप्ति के 30 दिन के भीतर विद्युत ऑम्बड्समैन, 80, बसंत विहार, देहरादून के समक्ष अपील/प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः— 31/10/2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(ब्रह्म पाल)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।

दिनांकः— 31/10/2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(ब्रह्म पाल)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

Scanned with OKEN Scanner

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरम:– 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2– ब्रह्म पाल, सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202609290001
पंजीकरण तिथि:–29.09.2026
निर्णय की तिथि:–22.10.2026

जगदीश चन्द्र भट्ट, परिवादी
दुम्काबंगर बच्चीधर्मा,
हल्दूचौड़ लालकुआं,
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी(ग्रामीण)।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि:– "COMPLAINT REGARDING IMMEDIATE REPLACEMENT OF RUSTED AND WEAKENED ELECTRIC POLE POSING DANGER TO NEARBY RESIDENTS."

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता जगदीश चन्द्र भट्ट, दुम्काबंगर बच्चीधर्मा, हल्दूचौड़ लालकुआं, जिला–नैनीताल, संबन्धित खराब पोल बदल कर नया पोल लगा दिया गया है। अतः महोदय से निवेदन है कि उक्त शिकायत निस्तारित करने की कृपा करें।

3. परिवादी द्वारा दिनांक 21.10.2026 को ईमेल के माध्यम से मंच के समक्ष अपनी संतुष्टि व्यक्त करते हुये कहा गया कि i am Manoj Kumar Bhatt son of shri Jagdish chandra bhatt from Bodhidharma Halduchaur Lalkuan, i like to inform you regarding my last grievance about Rusted electricity pole in front my Home.All necessary action has been done by UPCL and rusted pole replaced during last week .So please the statue may be changed as resolved.

4. मच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी के पोल से संबंधित शिकायत का निराकरण कर दिया गया है, जिस पर परिवादी ने भी अपनी संतुष्टि मंच के समक्ष व्यक्त की है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—22.10.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

22/10/2026
(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद् घोषित।
दिनांकः—22.10.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरमः– 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2– ब्रह्म पाल, सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202610010001
पंजीकरण तिथिः–05.10.2026
निर्णय की तिथिः–22.10.2026

गोदावरी देवी — परिवादी
भवान सिंह, नबार, बेरीपडाव, हल्द्वानी,
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता — विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी(ग्रामीण)।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है किः– "Iam a consumer of Uttarakhand Power Corporation Limited (UPCL). I would like to bring to your kind notice that I have not received my electricity bill for the last four months.Due to non-receipt of the bills, I am unable to k."

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि उपभोक्ता गोदावरी देवी, भवानसिंह नवाड, वेरीपडाव, हल्द्वानी, जिला–नैनीताल उपभोक्ता कनैक्शन संख्या/एकाउण्ड नं0 42600612780 में स्मार्ट मीटर स्थापित है। जिसका बिल Auto Genrate होता है। जोकि रजिस्टर्ड मोबाइल नं० पर एस०एम०एस० द्वारा सूचना प्राप्त होती है। बिलिंग का कार्य M/S Imon Cortege Pvt. द्वारा किया जाता है उपभोक्ता को माह अक्टूबर का बिल उपभोक्ता को प्राप्त करा दिया गया है तथा आगामी महिनों का बिल उपभोक्ता को लगातार प्राप्त करा दिये जायेंगे।

3. परिवादी द्वारा दिनांक 14.10.2026 को ईमेल के माध्यम से मंच के समक्ष अपनी संतुष्टि व्यक्त करते हुये कहा गया कि **Received bill. And he assured that he will also provide future bill. Thanks. Pls Mark the complaint as resolve for now,**

4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी की बिलिंग से संबंधित शिकायत का निराकरण कर दिया गया है, जिस पर परिवादी ने भी अपनी संतुष्टि मंच के समक्ष व्यक्त की है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः–22.10.2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(ब्रह्म पाल)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः–22.10.2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(ब्रह्म पाल)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरमः– 1–विष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2– ब्रह्म पाल, सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202610120001
पंजीकरण तिथिः–14.10.2026
निर्णय की तिथिः–27.10.2026

हरीश चन्द्र सिंह, परिवादी
गेबुवा खास, तहसील– कालाढूगी,
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता विपक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
रामनगर।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है कि "URGENT: Electricity Supply Disruption for the Past 48 Hours We have been without electricity for the past 48 hours despite repeatedly raising complaints with the local authorities and electricity department, starting from the local lineman to the co"

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर में कहा गया किः– दिनांक 22.10.2026 को ऑधीतूफान/दैवीय आपदा आने के कारण काफी विद्युत लाईनें क्षतिग्रस्त हो गयी थी, लाईन कार्मिकों द्वारा 33 के0वी0, 11 के०वी० एवं एल०टी० लाईनों मे युद्धस्तर परा कार्य कर लाईनों को दूरूस्त करने का कार्य किया गया। उपभोक्ता की एकल शिकायत का निवारण में विलम्ब हुआ। उपभोक्ता द्वारा दिनांक 12.10.2026 को समय 18:59 बजे उपसंस्थान में अपनी शिकायत दर्ज की गयी थी, उसी दिन समय 23:20 बजे विद्युत आपूर्ति सुचारू कर शिकायत का समाधान कर दिया गया था।

3. परिवादी द्वारा दिनांक 22.10.2026 को ईमेल के माध्यम से मंच के समक्ष अपनी संतुष्टि व्यक्त करते हुये कहा गया कि "Yes the issue was resolved on that day at 12:20 pm."

4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी परिवादी की विद्युत आपूर्ति से संबंधित शिकायत का निराकरण कर दिया गया है, जिस पर परिवादी ने भी अपनी संतुष्टि मंच के समक्ष व्यक्त की है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांकः—27.10.2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(ब्रह्म पाल)	27/10/2026
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
		सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः—27.10.2026

(हिमांशु बहुगुणा)	(ब्रह्म पाल)	
सदस्य (उपभोक्ता)	सदस्य (तकनीकी)	(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
		सदस्य (न्यायिक)

विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी
जिला–नैनीताल

कोरमः– 1–बिष्णु प्रसाद डोभाल, सदस्य (न्यायिक)
2– ब्रह्म पाल, सदस्य (तकनीकी)
3–हिमांशु बहुगुणा, सदस्य (उपभोक्ता)

वाद संख्या–04202610170001
पंजीकरण तिथिः–21.10.2026
निर्णय की तिथिः–28.10.2026

प्रकाश सिंह भंडारी, परिवादी
जगंनाथ कॉलौनी दमुवाढूगा हल्द्वानी,
जिला–नैनीताल।

बनाम

अधिशासी अभियन्ता वि पक्षी
विद्युत वितरण खण्ड
उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि0
हल्द्वानी (ग्रामीण)।

निर्णय

1. परिवादी द्वारा अपनी शिकायत में कहा गया है किः–"Bill for the month of October 2026, Contracted load is 1kw but fixed/demand charges is 255, bill attached for ready reference. Please clarify and do needful action accordingly. Regards."

2. विपक्षी/विभाग द्वारा अपने उत्तर पत्र में कहा गया है कि शिकायतकर्ता श्री प्रकाश सिंह भण्डारी, (अकाउंट न०–40113629098) का विद्युत भार 3KW से घटाकर 1KW कर दिया गया हैं।

3. परिवादी द्वारा दिनांक 22.10.2026 को ईमेल के माध्यम से मंच के समक्ष अपनी संतुष्टि व्यक्त करते हुये कहा गया कि **"Kindly refer to your email of date. I am satisfied with the resolution initiated by your office and thanks for needful action please. Thanks and regards."**

4. मंच द्वारा पत्रावली का अवलोकन किया गया। विपक्षी/विभाग द्वारा परिवादी परिवादी की विद्युत बिलिंग से संबंधित शिकायत का निराकरण कर दिया गया है, जिस पर परिवादी ने भी अपनी संतुष्टि मंच के समक्ष व्यक्त की है। अतः वाद निस्तारित किये जाने योग्य है।

आदेश

विपक्षी द्वारा परिवादी की शिकायत का समाधान कर दिए जाने एवं परिवादी की संतुष्टि के आधार पर वाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक–28.10.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

28/10/2026
(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)

आज यह निर्णय खुले फोरम में दिनांकित, हस्ताक्षरित एवं उद्घोषित।
दिनांकः–28.10.2026

(हिमांशु बहुगुणा)
सदस्य (उपभोक्ता)

(ब्रह्म पाल)
सदस्य (तकनीकी)

(बिष्णु प्रसाद डोभाल)
सदस्य (न्यायिक)